भारतीय निर्यात-आयात बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमावली, 2000

EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA (EMPLOYEES') PENSION REGULATIONS, 2000

(14 नवंबर, 2003 तक संशोधित)
(Amended upto 14th November, 2003)

भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियमावली 2002

भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम 1981 के (1981 का संख्यांक 28) की धारा 27 की उप धारा (3) के साथ पठित धारा 39 की उप धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके, भारतीय निर्यात-आयात बैंक का निदेशक मण्डल केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, एतदद्वारा निम्नलिखित विनियमावली, बनाता है, नामतः

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(i) ये विनियम भारतीय निर्यात-आयात बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियमावली, 2000 कहलायेंगे;

(ii) यह विनियमावली में अन्यता स्पष्टतः उपबंध की गई स्थिति को छोड़कर, शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को लागू होगी ।

2. परिभाषायें

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इस विनियमावली में :

(क) ' अधिनियम ' का अर्थ भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम 1981, (1981 का संख्याक 28) है;

(ख) ' बीमांकन (एक्चुअरी)' का वही अर्थ होगा जो बीमा अधिनियम, 1963 (1938 संख्यांक 4), की धारा 2 के खंड (1) में उसके लिए निर्दिष्ट किया गया है;

(ग) 'परिशिष्ट ' का अर्थ इस विनियमावली से संलग्न परिशिष्ट है;

(घ) 'औसत परिलब्धियों ' का अर्थ किसी कर्मचारी द्वारा बैंक में अपनी सेवा के पिछले दस माह के दौरान आहरित औसत वेतन है;

(ङ) 'बैंक ' का अर्थ भारतीय निर्यात-आयात बैंक है;

(च) 'मण्डल ' का अर्थ बैंक का निदेशक मण्डल है;

(छ) 'बच्चों ' का अर्थ कर्मचारी का ऐसा बच्चा है जो यदि सुपुत्र है तो उसकी आयु पच्चीस वर्षों से कम हो और यदि वह सुपुत्री है तो वह अविवाहित हो तथा उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम हो एवं "बच्चों" की अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा ;

(ज) 'सक्षम प्राधिकारी' का अर्थ बैंक का अध्यक्ष और प्रबंध-निदेशक अथवा ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी है जिसे इस विनियमावली, के प्रयोजनों के लिए मण्डल द्वारा नामोदिष्ट किया जाए;

(झ) 'आचरण, अनुशासन और अपनी विनियमावली ' का अर्थ निर्यात-आयात बैंक अधिकारी आचरण, अनुशासन और अपील विनियमावली, 1983 है;

(ञ) ' अंशदान ' का अर्थ बैंक द्वारा किसी कर्मचारी की ओर से निधि में जमा की गई राशि है परन्तु इसमें ब्याज के रूप में जमा की गई कोई राशि शामिल नहीं की जाएगी;

(ट) 'सेवानिवृत्ति की तारीख ' का अर्थ उस माह की अंतिम तारीख है जिसमें कोई कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेता है अथवा वह तारीख है जिसको बैंक द्वारा उसे सेवानिवृत्त किया जाता है अथवा वह तारीख है जिसको कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होता है या वह तारीख है जिसको किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्त हुआ माना गया है;

(ठ) 'सेवानिवृत्त हुआ माना गया' का अर्थ केन्द्र सरकार बैंक के पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष के रूप में अथवा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 के संख्यांक 5) / 1980 (1980 के संख्यांक 40) की पहली अनुसूची के स्तंभ 2 में निर्दिष्ट किसी बैंक अथवा किसी अन्य सरकारी वित्तीय संस्था अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 के संख्यांक 23) के अधीन स्थापित भारतीय स्टेट बैंक में नियुक्ति होने पर बैंक की सेवा की समाप्ति है;

(ड) 'कर्मचारी ' का अर्थ पूर्णकालिक कार्य के लिए बैंक की सेवा में स्थायी आधार पर नियोजित कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस विनियमावली को स्वेच्छा से स्वीकार करता है तथा उससे नियंत्रित होता है परन्तु उसमें संविदा के आधार पर अथवा दैनिक मज़दूरी के आधार पर नियोजित व्यक्ति शामिल नहीं है;

(ढ़) किसी कर्मचारी के संबंध में 'परिवार' का अर्थ (क) पुरुष कर्मचारी के मामले में उसकी पत्नी है अथवा महिला कर्मचारी के मामले में उसका पति है, (ख) न्यायिक रूप से संबंध विच्छेद हुई पत्नी अथवा पति बशर्ते ऐसा संबंध विच्छेद जारकर्म के आधार पर प्रदान न किया गया हो तथा जीवित उत्तरजीवी व्यक्ति जारकर्म करने का दोषी न माना गया हो; एवं (ग) ऐसा पुत्र है जिसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और ऐसी अविवाहित पुत्री है जिसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है तथा इसमें विधिक रूप से गोद लिया गया पुत्र अथवा पुत्री शामिल है;

(ण) ' वित्तीय वर्ष ' का अर्थ अप्रैल की पहली तारीख को प्रारंभ होने वाला वर्ष;

(त) ' निधि का अर्थ', विनियम 5 के अधीन बनाई गई भारतीय निर्यात-आयात बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि है;

(थ) ' अधिसूचित तारीख ' का अर्थ वह तारीख है जिसको यह विनियमावली शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होती है;

(द) ' वेतन ' में,

(i) यदि वेतन वृद्धियों की कोई अवरुद्धता (स्टेगनेशन) हो तो उसके सहित मूल वेतन;

(ii) 'भविष्य ' निधि का अंशदान करने तथा महँगाई भत्ता की अदायगी करने के प्रयोजन के लिए गिने जानेवाले सभी भत्ते;

(iii) यदि निर्धारित निजी भत्ते की वेतन वृद्धि का कोई घटक हो तो वह; और

(iv) औद्योगिक कामगारों की, श्रृंखला 1960=100 के अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1148 अंकों की सूचकांक संख्या तक का हिसाब लगाया गया महँगाई भत्ता शामिल है;

(ध) 'पेंशन' में मूल पेंशन तथा इस विनियमावली के अध्याय VI में उल्लिखित अतिरिक्त पेंशन शामिल है;

(न) ' पेंशनर ' का अर्थ इस विनियमावली के अधीन पेंशन का पात्र कर्मचारी है;

(प) 'भविष्य निधि ' का अर्थ भारतीय निर्यात-आयात बैंक भविष्य निधि है;

(फ) 'सरकारी वित्तीय संस्था ' का अर्थ ऐसी वित्तीय संस्था है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का संख्यांक 1) की धारा 4 क के प्रयोजनों के लिए सरकारी वित्तीय संस्था माना गया है ।

(भ) 'अर्हक (क्वालीफाइंग) सेवा का अर्थ ड्यूटी पर रहकर अन्यथा की गई ऐसी सेवा है जिसका इस विनियमावली के अधीन पेंशन के प्रयोजन के लिए हिसाब लगाया जाएगा ।

(म) 'सेवानिवृत्त' में खंड (1) के अधीन सेवानिवृत्त हुआ माना गया कर्मचारी शामिल हैं;

(य) 'सेवानिवृत्ति ' का अर्थ -

(i) सेवा विनियमावली अथवा सेवा की शर्तों में निर्दिष्ट अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर;

(ii) इस विनियमावली के विनियम 28 में दिये गये उपबंधों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर;

(iii) सेवा विनियमावली अथवा सेवा की शर्तों में निर्दिष्ट अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर पहले बैंक द्वारा समयपूर्व सेवानिवृत्त किये जाने पर; बैंक की सेवा की समाप्ति है;

(र) 'सेवा की शर्तों ' का अर्थ बैंक के गैर अधिकारी कर्मचारियों को दिये गये नियुक्ति पत्रों में निर्धारित और इसके बाद समय - समय पर संशोधित सेवा के निबंधन और शर्तें हैं;

(र क) 'सेवा विनियमावली' का अर्थ अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित धारा 39 के अधीन बनाई गई निर्यात-आयात बैंक अधिकारी सेवा विनियमावली, 1982 है;

(र ख) 'न्यासी' का अर्थ विनियम 5 के उप विनियम (1) के अधीन गठित भारतीय निर्यात-आयात बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि का न्यास है;

(र ग) 'न्यासी' का अर्थ विनियम 5 के उप विनियम (1) के अधीन गठित भारतीय निर्यात-आयात बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि के न्यासी हैं;

(र घ) 'भविष्य निधि के न्यासी ' का अर्थ बैंक की भविष्य निधि के न्यासी है ।

(र ङ) इस विनियमावली में प्रयुक्त परन्तु परिभाषित न किये गये और अधिनियम तथा सेवा विनियिमावली / सेवा की शर्तों में परिभाषित सभी अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम अथवा सेवा विनियमावली अथवा सेवा की शर्तों में, यथास्थिति, निर्दिष्ट किया गया क्रमशः अर्थ है ।

अध्याय II
लागू होना और पात्रता

3. लागू होना

यह विनियमावली उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो: -

(1) (क) जनवरी, 1986 की पहली तारीख को अथवा उसके बाद, बैंक की सेवा में थे परन्तु जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख से पहले सेवानिवृत्त हुए थे; और

(ख) जिन्होंने अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर लिखित रूप में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का उपयोग किया है; और

(ग) जिन्होंने खंड (ख) में निर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद साठ दिनों के भीतर भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की सम्पूर्ण राशि पर प्रोद्भूत ब्याज सहित छह प्रतिशत वार्षिक दर पर ऐसे और अधिक साधारण ब्याज के साथ बैंक के अंशदान की सम्पूर्ण राशि वापस कर दी हो जो भविष्य निधि लेखे के निपटान की तारीख से बैंक को पूर्वोक्त राशि की वापसी की तारीख तक बनती है, अथवा

(2) (क) जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख या उसके बाद सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं किन्तु अधिसूचित तारीख से पहले; और

(ख) जो अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर निधि के सदस्य बने रहने के विकल्प का लिखित रूप में उपयोग करते हैं; और

(ग) जिन्होंने खंड (ख) में निर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद साठ दिनों के भीतर भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की सम्पूर्ण राशि पर प्रोद्भूत ब्याज, छह प्रतिशत वार्षिक दर पर ऐसे और साधारण ब्याज के साथ बैंक के अंशदान की संपूर्ण राशि वापस कर दी हो, जो भविष्य निधि लेखे से निपटान की तारीख से बैंक को पूर्वोक्त राशि की वापसी की तारीख तक बनती है; अथवा

(3) (क) जो अधिसूचित तारीख से पहले बैंक की सेवा में रहे हैं और जो बैंक की सेवा में, अधिसूचना की तारीख को अथवा उसके बाद बने रहे हैं; और

(ख) जो अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर, निधि के सदस्य बने रहने के विकल्प का, लिखित रूप में उपयोग करते हैं; और

(ग) जो भविष्य निधि न्यास को, बैंक का संपूर्ण अंशदान, उस पर प्रोद्भूत ब्याज के साथ निधि, जिसका गठन विनियम 5 के प्रयोजन से किया गया है, में जमा करने के लिए अंतरण के लिए प्राधिकृत करता है ।

(4) जो अधिसूचित तारीख को अथवा उसके बाद बैंक की सेवा में कार्यभार ग्रहण करते हैं; अथवा

(5) जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख को अथवा उसके बाद किसी समय के दौरान बैंक की सेवा में थे और जिनकी मृत्यु सेवानिवृत्ति के बाद परन्तु अधिसूचित तारीख से पहले हो गयी थी और ऐसे मामले में उनका परिवार इस विनियमावली के अधीन, यथास्थिति, पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा बशर्ते मृतक का परिवार-

(क) अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर निधि का सदस्य बनने के विकल्प का लिखित रूप में उपयोग करे; और

(ख) उपर्युक्त खंड (क) में निर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद साठ दिनों के भीतर भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की सम्पूर्ण राशि पर प्रोद्भूत ब्याज सहित और छह प्रतिशत वार्षिक दर से ऐसे और अधिक साधारण ब्याज के साथ बैंक के अंशदान की सम्पूर्ण राशि वापस कर दी हो जो भविष्य निधि लेखे के निपटान की तारीख से बैंक को पूर्वोक्त राशि की वापसी की तारीख तक बनती हो; अथवा

(6) जिन्होंने बैंक की सेवा में नवम्बर 1993 की पहली तारीख को अथवा उसके बाद कार्यभार ग्रहण किया है परन्तु अधिसूचित किये जाने की तारीख से पहले ही, बैंक की सेवा में रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई है ऐसे अधिकारियों के परिवार, इस विनियमावली के अधीन परिवार पेंशन के लिए हकदार होंगे;

बशर्ते, ऐसे मृतक कर्मचारी का परिवार अधिसूचित किए जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर भविष्य निधि में किए गए बैंक के अंशदान की संपूर्ण राशि, यदि कोई है, और उस पर प्रोद्‌भूत ब्याज को भविष्य निधि लेखे की निपटान की तारीख से बैंक का उपर्युक्त राशि की वापस करने की तारीख तक पुनः छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज के साथ, वापस कर दे:

यह भी शर्त है कि ऐसे मृतक कर्मचारी का परिवार लिखित रूप में परिवार पेंशन की मंजूरी के लिए आवेदन करे; अथवा

(7) जो जनवरी 1986 की पहले तारीख को किसी समय के दौरान अथवा उसके बाद, बैंक की सेवा में थे और जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए अक्तूबर 1993 के इकतीसवें दिन को या उससे पूर्व हो गई है अथवा सेवानिवृत्ति अक्तूबर 1993 की इकतीसवें दिन को या उससे पूर्व परन्तु अधिसूचित तारीख से पहले हो गयी थी और ऐसे मामले में उनका परिवार इस विनियमावली के अधीन, यथास्थिति, पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा बशर्ते मृतक का परिवार-

(क) अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर निधि का सदस्य बनने के विकल्प का लिखित रूप में उपयोग करे; और

(ख) उपर्युक्त खंड (क) में निर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद साठ दिनों के भीतर भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की सम्पूर्ण राशि पर प्रोद्‌भूत ब्याज सहित और छह प्रतिशत वार्षिक दर से ऐसे और अधिक साधारण ब्याज के साथ बैंक के अंशदान की सम्पूर्ण राशि वापस कर दी हो जो भविष्य निधि लेखे के निपटान की तारीख से बैंक को पूर्वोक्त राशि की वापसी की तारीख तक बनती हो ;

(8) बैंक की सेवा में अक्तूबर 1993 के इकतीसवें दिन या उससे पहले या उसके बाद में, कार्यभार ग्रहण करते हैं और जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए नवम्बर 1993 की पहली तारीख को परन्तु अधिसूचित तारीख से पहले हो गयी थी और ऐसे मामले में उनका परिवार इस विनियमावली के अधीन, यथास्थिति, पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा बशर्ते मृतक का परिवार -

(क) अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर निधि का सदस्य बनने के विकल्प का लिखित रूप में उपयोग करे: और

(ख) उपर्युक्त खंड (क) में निर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद साठ दिनों के भीतर भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की सम्पूर्ण राशि पर प्रोद्भूत ब्याज सहित और छह प्रतिशत वार्षिक दर से ऐसे और अधिक साधारण ब्याज के साथ बैंक के अंशदान की सम्पूर्ण राशि वापस कर दी हो जो भविष्य निधि लेखे के निपटान की तारीख से बैंक को पूर्वोक्त राशि की वापसी की तारीख तक का उक्त राशि का ब्याज बनता हो:

(9) उप विनियम (1), (2), (3), (5) और (8) में किसी बात के होते हुए भी, किसी कर्मचारी अथवा निपटान के अनुसरण में मृतक कर्मचारी के परिवार द्वारा अधिसूचित तारीख से पहले विकल्प का उपयोग किया गया है तो उसे इस अध्याय के प्रयोजन से विकल्प के रूप में माना जाएगा, यदि ऐसा कर्मचारी अथवा ऐसे मृतक कर्मचारी का परिवार अधिसूचित तारीख, से साठ दिनों के भीतर, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संपूर्ण राशि पर प्रोद्भूत ब्याज और अधिक साधारण ब्याज के साथ बैंक के अंशदान की संपूर्ण राशि इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार वापस कर देता है और ऐसे मामलें में जहाँ भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान भविष्य निधि न्यास के प्राप्त नहीं हुआ है, तथा अधिसूचना की तारीख से साठ दिनों के भीतर, बैंक के भविष्य निधि के न्यासियों को, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संपूर्ण राशि पर प्रोद्भूत ब्याज सहित, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान को, इस अध्याय में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विनियम 5 के अधीन, इस प्रयोजन से गठित निधि में जमा के प्रयोजन से प्राधिकृत किया है अथवा करता है ।"

4. भविष्य निधि में अभिदान करने का विकल्प

(1) विनियम 3 के उप विनियम (4) में दी गई किसी बात के होते हुए भी जो कर्मचारी अधिसूचित तारीख को अथवा उसके बाद बैंक की सेवा में पैंतीस वर्ष या उससे अधिक आयु में कार्यभार ग्रहण करता है । वह अपनी नियुक्ति की तारीख से एक सौ बीस दिनों की अवधि के भीतर पेंशन के अपने अधिकार का त्याग करने का चयन कर सकता है और उसके ऐसा करने पर यह विनियमावली उस पर लागू नहीं होगी ।

(2) विनियम 3 के उप विनियम 1 के उल्लिखित विकल्प का एक बार उपयोग किये जाने पर वह अंतिम होगा।

अध्याय III
निधि

5. निधि का गठन

(1) बैंक अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतरी एक अटल न्यास के अधीन भारतीय निर्यात-आयात बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि नामक निधि का गठन करेगा ।

(2) इस निधि का मात्र प्रयोजन इस विनियमावली के अनुसार पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन की अदायगी की व्यवस्था करना है ।

(3) बैंक इस निधि का अंशदाता होगा और वह यह सुनिश्चित करेगा कि इसमें इतनी पर्याप्त निधियां रखी जाती हैं कि वे न्यासियों को इस विनियमावली के अधीन लाभार्थियों का देय अदायगियां करने में समर्थ बनायें ।

6. भविष्य निधि न्यास की देयता

भविष्य निधि न्यास, निधि के गठन के तुरंत बाद ही भारतीय निर्यात-आयात बैंक (कर्मचारी) निधि को, भविष्य निधि में प्रत्येक ऐसे कर्मचारी से संबंधित बैंक के अभिदान की संचित शेष राशि और उस पर ऐसे अंतरण की तारीख तक का प्रोदभूत ब्याज अंतरित कर देगी जो इस विनियमावली द्वारा विनियमित है ।

7. निधि की बनावट

इस निधि में निम्नलिखित अंशदान और राशियां शामिल होंगी, नामतः

(क) कर्मचारियों के वेतन के दस प्रतिशत की मासिक दर से बैंक द्वारा किया गया अंशदान;

(ख) बैंक की भविष्य निधि के संचित अंशदानों और कर्मचारी की उसके पिछले नियोक्ता से प्राप्त भविष्य निधि की राशि और उसके ब्याज (नियोक्ता का अंशदान) के रूप में प्राप्त राशि और कर्मचारी द्वारा बैंक की भविष्य निधि न्यास में जमा की गयी राशि बशर्ते कर्मचारी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अथवा सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य बैंक का अथवा संस्था से बैंक की सेवा में नियोजित किया गया हो;

(ग) ब्याज सहित बैंक के अंशदानों से बनी उस कर्मचारी द्वारा वापस की गयी राशि जो अधिसूचित तारीख से पहले सेवानिवृत्त हो गया था परंतु जिसने इन विनियमावली के उपबंधों के अनुसार पेंशन का विकल्प चुना है;

(घ) निधि की राशियों और उसके ब्याज से खरीदी गयी वार्षिकियां अथवा प्रतिभूतियों में किया गया निवेश;

(ड़) निधि की पूंजी परिसंपत्तियों की बिक्री से उत्पन्न कोई पूंजी अभिलाभ की राशि;

(च) इस विनियमावली के विनियम 11 में दिये गये उपबंधो के अनुसार बैंक द्वारा किया गया अतिरिक्त वार्षिक अंशदान;

(छ) निधि में जमा की गयी राशियों के निवेशो की कोई आय;

(ज) बैंक के अंशदान और उसके ब्याज से बने अंशदान की जो राशि किसी मृतक कर्मचारी के उस परिवार द्वारा वापस की गयी हो जिसने, इस विनियमावली में दिये गये उपबंधों के अनुसार पारिवारिक पेंशन का विकल्प चुना हो ।

8. न्यासियों का मण्डल

(1) न्यासियों का मण्डल कम-से-कम तीन और अधिक से अधिक नौ व्यक्तियों के ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनका निर्धारण मण्डल द्वारा किया जायेगा जिसकी नियुक्ति बैंक द्वारा की जाएगी ।

(2) न्यासियों को नियुक्त करने की शक्ति बैंक को प्रदत्त की गयी है और ऐसी सभी नियुक्तियां लिखित रूप मे की जाएंगी ।

(3) बैंक न्यासियों में से किसी एक को न्यासियों के मण्डल के अध्यक्ष के रूप में नामित करेगा । बैंक किसी न्यासी को ऐसा वैकल्पिक अध्यक्ष होने के लिए भी नामित करेगा जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का कार्य करेगा ।

9. न्यासीगण बैंक के निदेशों का कार्यान्वयन करेंगे

न्यासीगण ऐसे सभी निदेशों का पालन करेंगे जो बैंक द्वारा निधि के उचित कार्य करने के लिए दिए जाएं ।

10. निधि की लेखा बहियां

(1) निधि के लेखों में उसके सभी वित्तीय लेनदेनों से संबंधित ब्यौरे ऐसे रूप में दिये जाएंगे जो बैंक द्वारा निर्धारित किया जाए ।

(2) प्रत्येंक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर न्यास अपना ऐसा वित्तीय विवरण तैयार करेगा जिसमें न्यास की परिसंपत्तियों और देयताओं का सामान्य लेखा दर्शाया गया हो और वह उसकी एक प्रति बैंक को अग्रेषित करेगा ।

(3) निधि के लेखों की लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 24 के उपबंधों के अनुसार की जाएंगी ।

11. निधि की बीमांकिक जांच-पड़ताल

बैंक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के मार्च को 31 तारीख को निधि की वित्तीय स्थिति का एक बीमांकिक द्‌वारा की जानेवाली जांच-पड़ताल करायेगा और ऐसा अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करेगा जो इस विनियमावली के अधीन लाभों को सुरक्षित करने के लिए अपेक्षित हों:

परंतु यह शर्त है कि बैंक निधि की वित्तीय स्थिति की किसी बीमांकिक द्‌वारा की जानेवाली जांच-पड़ताल यथास्थिति उस मार्च की 31 तारीख को करायेगा जो उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद आती हो जिसको निधि गठित की गयी है ।

12. निधि का निवेश

उक्त तारीख के बाद निधि में अंशदान की गयी अथवा प्राप्त अथवा ब्याज के रूप में प्रोद्‌भूत अथवा निधि में अन्यथा प्रोद्‌भूत सभी राशियां भारत के किसी डाक घर बचत बैंक खाते अथवा किसी अनुसूचित बैंक में जमा की जा सकती हैं अथवा उनका उपयोग भारतीय न्यास अधिनियम 1882 (1882 का संख्यांक 2) के उपबंधों के अनुसार किया जा सकता है ।

13. निधि से की जानेवाली अदायगी

न्यास द्‌वारा लाभों की अदायगी बैंक के कर्मचारियों को प्रदान किये जाने वाले पेंशनीय लाभों को प्रदान करने अथवा बैंक के मृतक कर्मचारियों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन प्रदान किए जाने के लिए किये जायेंगे ।

अध्याय IV

अर्हक सेवा

14. अर्हक सेवा

इस विनियमावली में दी गई अन्य शर्तों के अधीन जिस कर्मचारी ने सेवानिवृत्त की तारीख अथवा जिस तारीख को उसे सेवा निवृत्त हुआ माना गया है उसको बैंक की न्यूनतम दस वर्ष की सेवा की हो, वह पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करेगा ।

15. अर्हक सेवा का प्रारंभ होना

इस विनियमावली में दिये गये उपबंधों के अधीन किसी कर्मचारी की अर्हक सेवा उस तारीख से प्रारंभ होगी जिसकी वह ऐसे पद का कार्यभार ग्रहण करता है जिस पर उसे पहली बार स्थायी आधार पर नियुक्त किया जाता है:

परंतु यह शर्त है कि जिस कर्मचारी को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ('विकास बैंक') अथवा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदित सरकारी क्षेत्र की किसी अन्य संस्था अथवा सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक से बैंक की सेवा में नियोजित किया गया है । उसकी अर्हक सेवा उस तारीख से प्रारंभ होगी जिसको उसने विकास बैंक अथवा, यथास्थिति, सरकारी क्षेत्र की ऐसी संस्था अथवा सरकारी क्षेत्र के बैंक में स्थायी आधार पर कार्यभार ग्रहण किया हो: परंतु इसके अतिरिक्त यह शर्त भी है कि नियोजित किये जाने के समय पिछले नियोक्ता से प्राप्त भविष्य निधि (नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की भविष्य निधि की राशि) और उसके ब्याज की प्राप्त राशि एक्ज़िम बैंक की भविष्य निधि न्यास में जमा की गई हो ।

16. परिवीक्षाधीन सेवा का गिना जाना

किसी बैंक में किसी पद की परीवीक्षाधीन सेवा अर्हक सेवा होगी बशर्ते उसके फलस्वरूप उसी अथवा किसी अन्य पद पर स्थायीकरण की गयी हो ।

17. छुट्टी पर व्यतीत अवधियों का गिना जाना

बैंक की सेवा के दौरान की ऐसी सारी छुट्टी अर्हक सेवा के रूप में गिनी जायेंगी जिसके लिए छुट्टी वेतन देय है:

परंतु यह शर्त है कि वेतन की हानि वाली असाधारण छुट्टी की ऐसी स्थिति को छोड़कर, अर्हक सेवा के लिए नहीं गिनी जाएंगी जब छुट्टी स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी ने यह निदेश दिया हो कि संपूर्ण सेवा के दौरान बारह महीनों से अनाधिक होने वाली छुट्टी, पेंशन सहित सभी प्रयोजन के लिए सेवा के रूप में गिनी जा सकती है ।

18. एक वर्ष से कम की सेवा की खंडित अवधि

यदि किसी कर्मचारी की सेवा की अवधि में एक वर्ष से कम की सेवा की खंडित अवधि शामिल है और यदि ऐसी खंडित अवधि छह महीनों से अधिक है जो उसे एक वर्ष की अवधि माना जायेगा और यदि ऐसी खंडित अवधि छह महीनों अथवा उससे कम की है तो उसे छोड़ दिया जाएगा; परंतु यह शर्त है कि किसी कर्मचारी के पेंशन का पात्र होने के लिए अपेक्षित न्यूनतम सेवा का निर्धारण करने के लिए इस विनियम के उपबंध को लागू नहीं किया जाएगा ।

19. प्रशिक्षण पर व्यतीत की गयी अवधि का गिना जाना

बैंक में किसी कर्मचारी की नियुक्ति के तुरंत पहले उसके द्वारा प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधि अर्हक सेवा के रूप में गिनी जाएगी,

20. तत्कालीन बैंक में पिछली सेवा का गिना जाना

जो कर्मचारी किसी अन्य बैंक अथवा किसी अन्य बैंक के इस बैंक में विलय अथवा समामेलन के कारण स्थायी रूप से अंतरित किया गया है और जिस पर यह विनियम लागू होते हैं उसके मामले में ऐसे कर्मचारी द्वारा किसी अन्य बैंक में स्थायी आधार पर की गयी यदि कोई लगातार सेवा हो तो और उसके बाद, यथास्थिति, किसी व्यवधान के बिना स्थायी नियुक्ति हुई हो अथवा उस बैंक के अधीन स्थायी हैसियत से की गयी निरंतर सेवा अर्हक सेवा मानी जायेगी ;

परन्तु यह शर्त है कि इस विनियम में दी गई कोई भी बात ऐसे कर्मचारी पर लागू होगी जो संविदा के आधार पर अथवा दैनिक मज़दूरी के आधार पर नियुक्त किया गया है ।

21. निलंबन की अवधि

जांच के विचाराधीन रहनेवाले किसी कर्मचारी की निलंबन की अवधि अर्हक सेवा के लिए वहां गिनी जाएगी जहां ऐसी जांच के समाप्त होने पर उसे पूर्णतः दोष मुक्त कर दिया गया हो अथवा निलंबन को पूर्णतः अनुचित माना गया हो तथा अन्य मामलों में निलंबन की अवधि तब तक अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिनी जाएगी जब तक कि सेवा विनियमावली अथवा आचरण, अनुशासन और अपील विनियमावली अथवा ऐसे मामलों को नियंत्रित करनेवाली सेवा की शर्तों के अधीन आदेश पारित करने वाले सक्षम प्राधिकारी ने स्पष्टतः जांच के समय यह घोषणा कर दी हो की ऐसी सेवा उस सीमा तक अर्हक सेवा गिनी जाएगी जिसे ऐसा प्राधिकारी घोषित करे ।

22. सेवा का समपहरण

(1) बैंक की सेवा से किसी कर्मचारी के त्यागपत्र देने अथवा उसकी बर्खास्तगी अथवा हटाया जाना अथवा समाप्ति में उसकी पूरी पिछली सेवा का समपहरण निहित होगा और उसके फलस्वरूप वह पेंशन संबंधी लाभों का पात्र नहीं होगा।

(2) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर किसी कर्मचारी की सेवा के व्यवधान में उसकी पिछली सेवा का समपहरण निहित है, नामतः

(क) अनुपस्थिति की प्राधिकृत छुट्टी:

(ख) ऐसा निलंबन जिसके तुरंत बाद बहाली हुई हो भले ही उसी अथवा किसी अलग पद पर क्यों न हुई हो अथवा जहाँ कर्मचारी की मृत्यु हो गयी हो अथवा जहाँ उसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई हो अथवा उसने निलंबन के अधीन रहते हुए अनिवार्य सेवा की आयु प्राप्त कर ली हो:

(ग) सरकार अथवा बैंक के नियंत्रण के अधीन किसी स्थापना की अनर्हक सेवा का अंतरण बशर्ते ऐसे अंतरण का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जनहित में दिया गया हो:

(घ) अंतरण के समय एक पद से दूसरे पद पर कार्यभार ग्रहण करने का समय ।

(3) उप विनियम (2) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी आदेश से छुट्टी के बिना हुई अनुपस्थिति की अवधियों को भूतलक्षी प्रभाव से असाधारण छुट्टी के रूप में रूपांतरित कर सकता है ।

(4) (क) सेवा अभिलेख में इसके विपरीत किसी विशेष संकेत के अभाव में किसी कर्मचारी द्वारा की गयी सेवा की दो अवधियों के बीच के व्यवधान को अपने आप माफ हुआ माना जाएगा और व्यवधान पूर्व की सेवा को अर्हक सेवा के रूप में माना जाएगा;

(ख) खंड (क) की कोई बात त्याग-पत्र, बर्खास्तगी अथवा सेवा से हटाये जाने के कारण हुए व्यवधान पर लागू नहीं होगी ।

23. विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति की अवधि

संयुक्त राष्ट्र अथवा किसी अन्य विदेशी निकाय अथवा संगठन की विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्त कोई कर्मचारी अपने विकल्प से -

(क) अपने विदेशी सेवा के लिए पेंशन अंशदान अदा कर सकता है और इस विनियमावली के अधीन उक्त सेवा को अर्हक सेवा के रूप में गिन सकता है; अथवा

(ख) विदेशी नियोक्ता के नियमों के अधीन स्वीकार्य सेवा निवृत्ति के लाभ प्राप्त कर सकता है और उक्त सेवा को इस विनियमावली के अधीन अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिन सकता है :

परंतु यह शर्त है कि जहाँ कोई कर्मचारी खंड (क) के लिए विकल्प देता है वहाँ सेवा निवृत्ति के लाभ को भारत में रुपयों में उस तारीख से तथा ऐसी विधि से देय होंगे जिसे बैंक आदेश से निर्दिष्ट करे।

24. सैनिक सेवा

जिस कर्मचारी ने बैंक में नियुक्ति से पहले सैनिक सेवा की है वह सैनिक पेंशन आहरित करना जारी रखेगा बशर्ते ऐसी कोई सैनिक पेंशन हो तथा ऐसे कर्मचारी द्वारा की गयी सैनिक सेवा पेंशन की अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिनी जाएगी ।

25. भारत के किसी संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि

किसी कर्मचारी की भारत के किसी अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि सेवा के रूप में गिनी जाएगी :

परंतु यह शर्त है कि जिस संगठन में उसकी प्रतिनियुक्ति हुई है वह अथवा कर्मचारी इस विनियमावली के विनियम 7 के उप विनियम (क) में निर्दिष्ट दरों से अथवा प्रतिनियुक्ति के समय बैंक द्वारा निर्धारित दरों में से जो दरें अधिक हों उन पर पेंशन अभिदान बैंक को अदा करेगा ।

26. विशेष परिस्थितियों में अर्हक सेवा का परिवर्धन

कोई भी कर्मचारी.इसका पात्र होगा कि वह अधिवर्षिता पेंशन की अपनी अर्हक सेवा के लिए (परंतु पेंशन की किसी अन्य अर्हक सेवा के लिए नहीं) ऐसा वास्तविक अवधि का परिवर्धन करेगा जो उसकी सेवा की अवधि के एक चौथाई से अनधिक की वास्तविक अवधि हो अथवा जो ऐसी वास्तविक अवधि हो जिससे भर्ती के समय उसकी आयु सीधी भर्ती के लिए बैंक द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम आयु अथवा पाँच वर्षों की अवधि

इनमें से जो भी कम हो उसका परिवर्धन कर सकता है । बशर्ते जिस सेवा अथवा पद पर कर्मचारी नियुक्त किया गया है वह निम्नलिखित ऐसे पदों में से एक हो -

(क) जिसके लिए वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी अथवा व्यावसायिक क्षेत्रों स्नातकोत्तर अनुसंधान अथवा विशेषज्ञ योग्यता अथवा अनुभव अनिवार्य हैं: और

(ख) जिसके लिए ऐसी आयु के उम्मीदवार सामान्यता नियुक्त किये जाते हैं जिनकी आयु सीधी भर्ती के लिए निर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा से अधिक होती है: और

(ग) जिस पद के लिए बैंक द्वारा निर्धारित उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में उसके अधिक योग्यतायें अथवा अनुभव रखने के कारण आयु की छूट दी गयी थी :

परंतु यह शर्त है कि रियायत किसी कर्मचारी को तब तक स्वीकार्य नहीं होगी जब तक उसकी वास्तविक अर्हक सेवा उस समय दस वर्षों से कम न हो, जब वह बैंक की सेवा छोड़ता है:

इसके अतिरिक्त यह शर्त है कि यह रियायत तब स्वीकार्य होगी जब उक्त सेवा अथवा पद से संबंधित भर्ती के नियमों में इसका विशिष्ट प्रावधान हो कि ऐसी सेवा अथवा पद इस प्रकार का है कि जिसमें इस विनियम के लाभ मिलते हैं :

परंतु यह शर्त भी है कि इस विनियम का लाभ जिस किसी सेवा अथवा पद के लिए प्राप्त होता है उससे संबंधित भर्ती के नियम केन्द्र सरकार के अनुमोदन से बनाये जाएंगे ।

अध्याय V

पेंशन की श्रेणियां

27. अधिवर्षिता पेंशन

अधिवर्षिता पेंशन ऐसे कर्मचारी को प्रदान की जाएगी जो सेवा विनियमावली अथवा सेवा की शर्तों में निर्दिष्ट अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हुआ है ।

28. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के पेंशन

(1) कोई भी कर्मचारी बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लेने के बाद तथा नियुक्तिकर्ता अधिकारी को लिखित रूप में कम से कम तीन महीनों की सूचना देने के बाद किसी भी समय सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है :

परंतु यह शर्त है कि यह उप विनियम ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो प्रतिनियुक्ति पर है अथवा जो विदेशी में अध्ययन छुट्टी पर है तथा जब तक उसके भारत में स्थानांतरित होने अथवा लौटने के बाद उसने भारत में अपने पद का कार्यभार ग्रहण न कर लिया हो और उसने कम से कम एक वर्ष की अवधि की सेवा की हो :

परंतु इसके अतिरिक्त यह शर्त है कि यह उप विनियम ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो किसी स्वायत्त निकाय अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अथवा कंपनी अथवा संस्था अथवा निकाय में स्थायी रूप से नियोजित किये जाने के लिए सेवा से सेवा निवृत्ति की मांग करता है भले ही ऐसा उक्त निकाय, उपक्रम, कंपनी, संस्था निगमित हो अथवा न हो जिसमें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की मांग करने के समय वह प्रतिनियुक्ति पर हो :

यह भी शर्त है कि उप विनियम ऐसे किसी कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जिसे विनियम दो के खंड (1) के अनुसार सेवानिवृत्त हुआ मान लिया गया है ।

(2) उप विनियम (1) के अधीन स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की दी गयी सूचना के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित होगी :

परंतु यह शर्त है कि जहां नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी उक्त सूचना में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले सेवानिवृत्त की अनुमति प्रदान करने के लिए इन्कार नहीं करता वहां सेवानिवृत्ति उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी हो जाएगी ।

(3) (क) उप विनियम (1) में उल्लिखित कर्मचारी नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी से लिखित रूप में इसके कारण देते हुए यह अनुरोध कर सकता है कि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी तीन महीनों से कम की सेवानिवृत्ति की सूचना स्वीकार करें;

(ख) खंड (क) के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी उप विनियम (2) के उपबंधों के अधीन तीन महीनों के नोटिस की अवधि को कम करने के अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है और यदि वह इससे संतुष्ट है कि सूचना की अवधि को कम किया जाना किसी प्रशासनिक असुविधा का कारण नहीं होगा तो नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी इस शर्त पर तीन महीनों की सूचना की अपेक्षा में छूट दे सकता है कि कर्मचारी तीन महीनों की सूचना की समाप्ति से पहले अपनी पेंशन के एक भाग के रूपांतरण के लिए आवेदन नहीं करेगा।

(4) जिस कर्मचारी ने इस विनियम के अधीन सेवानिवृत्त होने का चयन किया है और जिसने नियुक्तिकर्ता अधिकारी को इस आशय की सूचना दी है उसे ऐसे प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन को छोड़कर अपनी सूचना वापस लेने से रोका जाएगा :
परंतु यह शर्त है कि वापस लेने का ऐसा अनुरोध उसकी सेवानिवृत्ति की उदिष्ट तारीख से पहले किया जाएगा ।

(5) इस विनियम के अधीन सुरक्षित रूप से सेवा निवृत्त होनेवाले किसी कर्मचारी की अर्हक सेवा की अवधि में पाँच वर्षों से अनधिक अवधि की वृद्धि इस शर्त के अधीन की जाएगी की ऐसे कर्मचारी द्वारा की गई अर्हक सेवा किसी भी स्थिति में तैंतीस वर्षों से अधिक नहीं होगी और वह उसे अधिवर्षिता की तारीख से आगे नहीं ले जाएगी ।

(3) इस विनियम के अधीन सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारी की पेंशन, इस विनियमावली के विनियम (2) के खंड (S) के अधीन यथापरिभाषित औसत परिलब्धियों पर आधारित होगी और उसकी अर्हक सेवा में पांच वर्षों से अनधिक की वृद्धि उसे इसका पात्र नहीं बनाएगी की उसकी पेंशन का हिसाब लगाए जाने के प्रयोजन लिए वेतन का कोई कल्पित निर्धारण किया जाए ।

29. अशक्तता - पेंशन

(1) अशक्तता पेंशन किसी ऐसे कर्मचारी को प्रदान की जा सकती है -

(क) जिसने न्यूनतम दस वर्षों की सेवा की हो; और

(ख) जो किसी ऐसी शारीरिक अथवा मानसिक दुर्बलता के कारण अधिसूचित तारीख को अथवा उससे पहले सेवा से सेवा निवृत्त होता है जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम बना देती है।

(2) अशक्तता पेंशन का आवेदन करनेवाला कर्मचारी बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी का आवश्यक डॉक्टरी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

(3) जहां बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी ने यह घोषित किया हो कि उस सेवा से कम मेहनत स्वरूप की और अधिक सेवा करने की लिये योग्य है जिसे वह करता रहा है तो उसे निचले पद पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि वह इस प्रकार नियुक्त किये जाने के लिए सहमत हो और यदि उसे निचले पद पर नियोजित करने का भी कोई साधन न हो तो उसे अशक्तता पेंशन के लिए स्वीकार किया जा सकता है ।

(4) सेवा की अक्षमता का कोई भी डॉक्टरी प्रमाण पत्र जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक आवेदक यहां दर्शानेवाला पत्र प्रस्तुत नहीं करता कि सक्षम प्राधिकारी को आवेदक के बैंक के द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का इरादा मालूम है ।

(5) बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी की आपूर्ति भी उस सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसमें आवेदक नियोजित है तथा उसके साथ एक ऐसे विवरण की भी आपूर्ति की जाएगी जिससे अधिकृत अविलेखों के अनुसार आवेदक की आयु का होना प्रतीत होता हो ।

30. अनुकंपा-भत्ता

(1) जो कर्मचारी सेवा से बर्खास्त किया गया है अथवा हटाया गया है अथवा जिसकी सेवा समाप्त की गयी है वह अपनी पेंशन का समपहरण कर देगा :

परंतु यह शर्त है कि उसे सेवा से बर्खास्त करने अथवा हटाने अथवा उसकी सेवा समाप्त करने के सक्षम प्राधिकारी से ऊपर का प्राधिकारी एक ऐसा अनुकंपा भत्ता स्वीकृत कर सकता है जो पेंशन के ऐसे दो तिहाई (2/3) भाग से अधिक नहीं होगा जो उसके बर्खास्तगी, हटाये जाने अथवा सेवा की समाप्ति की तारीख तक की गयी अर्हक सेवा के आधार पर उसे अन्यथा स्वीकार्य हुआ होता बशर्ते -

(i) ऐसी बर्खास्तगी, हटाया जाना अथवा सेवा की समाप्ति अधिसूचित तारीख को अथवा बाद हुई हो; और

(ii) मामला विशेष विचार करने के योग्य हो ।

(2) उप विनियम (1) के परन्तुक के अधीन स्वीकृत अनुकंपा भत्ता इस विनियमावली के विनियम 35 के अधीन देय न्यूनतम पेंशन की राशि से कम नहीं होगा ।

31. समय पूर्व सेवा निवृत्त की पेंशन

सेवानिवृत्ति पूर्व की पेंशन किसी ऐसे कर्मचारी को मंजूर की जा सकती है -

(क) जिसने न्यूनतम दस वर्षों की सेवा की हो ।

(ख) जो जनहित में अथवा सेवा विनियमावली अथवा सेवा की शर्तों में निर्दिष्ट किसी अन्य कारण से समय पूर्व सेवानिवृत्त होने के बैंक के आदेशों के कारण सेवा से निवृत्त होता है बशर्ते वह उक्त तारीख को अधिवर्षिता संबंधी ऐसी पेंशन का अन्यथा हकदार था ।

32. अनिवार्य सेवा निवृत्ति की पेंशन

(1) जो कर्मचारी दंड के रूप में अथवा आचरण, अनुशासन और अपील विनियमावली अथवा सेवा की शर्तों के अनुसार अनुसूचित तारीखों अथवा उसके बाद सेवा से अनिवार्यता सेवानिवृत्त किया जाता है । उसे उस अधिकारी से ऊपर के अधिकारी द्वारा ऐसी दर से पेंशन मंजूर की जा सकती है जो ऐसा दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी ही जो दर उसे उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को स्वीकार्य पूरी पेंशन के दो तिहाई से कम न हो और पूरी पेंशन से अधिक न हो बशर्ते की वह उक्त तारीख को अधिवर्षिता प्राप्त होने पर ऐसी पेंशन का अन्यथा हकदार था ।

(2) जहां कहीं भी किसी कर्मचारी के मामले में सक्षम प्राधिकारी ऐसा आदेश पारित करता है (चाहे वह मूल अपील अथवा समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करके क्यों न पारित किया गया हो) जिसमें इस विनियमावली के अधीन स्वीकार्य पूरी पेंशन से कम पेंशन प्रदान की गयी हो वहां ऐसा आदेश पारित करने से पहले मण्डल से परामर्श किया जाएगा ।

(3) यथास्थिति, विनियम (1) अथवा विनियम (2) के अधीन प्रदान की गयी अथवा मंजूर की गयी पेंशन सात सौ बीस रूपये मासिक की राशि से कम नहीं होगी ।

33. जो कर्मचारी 1.1.1986 से 31.10.1993 तक और अधिसूचित तारीख के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा जिसकी मृत्यु हुई है उनके लिए पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन की अदायगी -

(1) जो कर्मचारी 1 जनवरी, 1986 के पहले दिन और अक्तूबर 1993 के 31 वें दिन के बीच बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है वह नवम्बर 1993 की पहली तारीख से पेंशन के लिए का पात्र होगा ।

(2) विनियम 3 के उप विनियम (7) में दिये गये उपबंधों से नियंत्रित मृत कर्मचारी का परिवार नवम्बर 1993 की पहली तारीख से अथवा मृत्यु की तारीख के बाद की तारीख, इनमें से जो भी बाद की तारीख हो से लागू पारिवारिक पेंशन का पात्र होगा ।

अध्याय VI

पेंशन की दर

34. पेंशन की राशि

(1) जो कर्मचारी 1 जनवरी 1986 और अधिसूचित तारीख के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं उनसे संबंधित मूल पेंशन और अतिरिक्त पेंशन परिशिष्ट-। में दिये गये सूत्र के अनुसार अद्यतन की जाएगी ।

(2) सेवा विनियिमावली के उपबंधों अथवा सेवा की शर्तों के अनुसार कम-से-कम तैंतीस वर्षों की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में मूल पेंशन की राशि का हिसाब और परिलब्धियों के पचास प्रतिशत से लगाया जाएगा ।

(3) (क) अतिरिक्त पेंशन किसी कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा के पिछले दस महीनों के दौरान आहरित भत्तों की औसत राशि का पचास प्रतिशत होगी :

(ख) अतिरिक्त पेंशन की राशि पर कोई मंहगाई राहत अदा नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण : इस उप विनियम के प्रयोजन के लिए "भत्तों" का अर्थ ऐसे भत्ते हैं जो भविष्य निधि में अंशदान करने की सीमा तक के लिए स्वीकार्य हैं ।

(4) उपर्युक्त (2) और (3) विनियम के अनुसार हिसाब लगाई गई पेंशन का सकल जोड़ उस न्यूनतम पेंशन के अधीन होगा जो इस विनियमावली में निर्दिष्ट की गयी है ।

(5) जिस कर्मचारी ने इस विनियमावली के विनियम 40 के उपबंधों के अनुसार अपने पेंशन का स्वीकार्य भाग रूपांतरित करा लिया है वह केवल पेंशन की बकाया राशि ही मासिक रूप से प्राप्त करेगा ।

(6) (क) तैंतीस वर्षों की अर्हक सेवा पूरी करने से पहले परन्तु दस वर्षों की अर्हक सेवा पूरी कर लेने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में पेंशन की राशि उप विनियम (2) और (3) के अधीन स्वीकार्य पेंशन की राशि के अनुपात में होगी और किसी भी स्थिति में पेंशन की राशि इस विनियमावली में निर्दिष्ट न्यूनतम पेंशन की राशि से कम नहीं होगी ।

(ख) इस विनियमावली में दी गयी किसी बात के होते हुए भी अशक्तता पेंशन की राशि उस पारिवारिक पेंशन की सामान्य दर से कम नहीं होगी जो सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को देय हुई होती ।

(7) इस विनियम के अधीन अंततः निर्धारित पेंशन की राशि पूर्ण रुपयों में व्यक्त की जाएगी और जहां पेंशन में रूपये का अंश शामिल होगा वहां उसे अगले अधिक रुपयों में पूर्णांकित किया जाएगा ।

35. न्यूनतम पेंशन

पेंशन की न्यूनतम राशि निम्नलिखित अनुसार होगी -

(क) ऐसे किसी कर्मचारी के मामलें में जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख से पहले सेवा निवृत्त हुए हैं, तीन सौ पचहत्तर रुपये प्रतिमाह ; और

(ख) ऐसे किसी कर्मचारी के मामले में जो नवम्बर की 1993 पहली तारीख को या उसके बाद सेवा निवृत्त हुए हैं, सात सौ बीस रुपये प्रतिमाह । "

36. महंगाई राहत

(1) मूल पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन अथवा अशक्तता पेंशन अथवा अनुकंपा पर महंगाई राहत परिशिष्ट- II में निर्दिष्ट दरों के अनुसार प्रदान की जाएगी ।

(2) मंहगाई राहत मूल पेंशन के रूपांतरणों के बाद भी उसकी पूरी राशि पर दी जाएगी ।

37. औसत परिलब्धियों की दस महीनों की अवधि का निर्धारण

(1) औसत परिलब्धियों के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती दस महीनों की अवधि का हिसाब सेवानिवृत्ति की तारीख से लगाया जाएगा ।

(2) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा अवधि पूर्व सेवानिवृत्ति के मामले में औसत परिलब्धियों के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती दस महीनों की अवधि का हिसाब उस तारीख से लगाया जाएगा जिस तारीख को कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होता है अथवा बैंक द्वारा समय पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया जाता है ।

(3) बर्खास्तगी अथवा हटाया जाना अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा सेवा की समाप्ति के मामले में औसत परिलब्धियों के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती दस महीनों की अवधि का हिसाब उस तारीख से लगाया जाएगा जिसको, कर्मचारी बर्खास्त किया गया है अथवा उसे सेवा से हटाया गया है अथवा उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है अथवा बैंक द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर दी गयी है ।

(4) यदि सेवा के पिछले दस महीनों के दौरान कोई कर्मचारी वेतन की हानिवाली असाधारण छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहा है अथवा निलंबन के अधीन रहा हैं तथा ऐसी असाधारण छुट्टी अथवा निलंबन की अवधि सेवा के लिए न गिनी गई हो तो पूर्वोक्त असाधारण छुट्टी अथवा निलंबन की अवधि को, औसत परिलब्धियों का हिसाब लगाने के लिए नहीं गिया जाएगा और दस महीनों के पहले की बराबर की अवधि शामिल की जाएगी ।

अध्याय VII

पारिवारिक पेंशन

38. पारिवारिक पेंशन

(1) इस विनियमावली में दिये गये उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जब किसी कर्मचारी की -

(क) लगातार एक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद मृत्यु हो जाती है, अथवा

(ख) एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने के पहले मृत्यु हो जाती है तब बशर्ते की संबंधित कर्मचारी की सेवा अथवा पद पर अपनी नियुक्ति से ठीक पहले बैंक द्वारा चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की गयी थी और उसे बैंक में नियोजन के लिए योग्य घोषित किया गया था; अथवा

(ग) सेवा से निवृत्त होने के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और जहां वह मृत्यु की तारीख को पेंशन अथवा अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहा था वहाँ मृत कर्मचारी का परिवार ऐसी पारिवारिक पेंशन का पात्र होगा जिसकी राशि परिशिष्ट III के अनुसार निर्धारित की जाएगी

(2) पारिवारिक पेंशन की राशि मासिक दरों में निश्चित की जाएगी और उसे पूर्ण रुपयों में व्यक्ति किया जाएगा और जहाँ पारिवारिक पेंशन में रुपया का अंश रहता है वहाँ उसे अगले अधिक रूपये में पूर्णांकित किया जाएगा ।

परन्तु यह शर्त है कि इन विनियमावली के अधीन निर्धारित अधिकतम से अधिक की पारिवारिक पेंशन किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी ।

(3) (क) (i) जहाँ कोई कर्मचारी कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 (1923 संख्यांक 8) से नियंत्रित होता और वह कम से कम 7 वर्षों की लगातार सेवा करने के बाद सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है वहाँ उसके परिवार को देय पारिवारिक पेंशन की दर अंतिम आहरित वेतन के पचास प्रतिशत के अथवा उप-विनियम (1) के अधीन स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन की दुगनी राशि में जो भी कम होगी उसके पचास प्रतिशत के बराबर होगी और इस प्रकार स्वीकार्य राशि कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के बाद की तारीख से 7 वर्षों की अवधि अथवा उस तारीख तक की अवधि के लिए देय होगी जिसको मृत कर्मचारी ने तब पैंसठ वर्ष की आयु पूरी कर ली होती जब वह जीवित रहा होता । इन अवधियों में से जो भी अवधि कम होगी उसके लिए उक्त पेंशन देय होगी ;

(ii) सेवा निवृत्ति के बाद किसी कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में इस उप-विनियम के खंड (क) (i) के अधीन यथा निर्धारित पारिवारिक पेंशन सात वर्षों की अवधि अथवा उस तारीख तक की अवधि जिसको मृत कर्मचारी सेवा निवृत्त तब हुआ होता जब जीवित रहने पर उसने पैंसठ वर्ष की आयु पूरी कर ली होती । इन दोनों अवधियों में से जो अवधि कम होगी उसके लिए पेंशन देय होगी ।

(ख) (i) जहाँ कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 संख्यांक 8) से नियंत्रित कोई कर्मचारी कम से कम सात वर्षों की लगातार सेवा कर लेने के बाद सेवा में रहते हुए मृत हो जाता है वहाँ उसके परिवार को देय पारिवारिक पेंशन, अंतिम आहरित वेतन के पचास प्रतिशत अथवा उप-विनियम (1) के अधीन स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन के डेढ़ गुने में से जो भी कम हो उसके बराबर होगी;

(ii) उप खंड (i) के अधीन इस प्रकार निर्धारित की गयी पारिवारिक पेंशन खंड (क) में उल्लिखित अवधि के लिए देय होगी;

(ग) खंड (क) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के बाद उक्त खंड अथवा खंड (ख) के अधीन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला परिवार उप-विनियम (1) के अधीन स्वीकार्य दर से पारिवारिक पेंशन का पात्र होगा ।

(4) इस विनियमावली में किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी, जहां मृतक कर्मचारी का परिवार विनियम 3 के उपविनियम (5) के अनुसार पेंशन लेने का विकल्प देता है अथवा विनियम 3 के उप-विनियम (6) अथवा (7) अथवा (8) में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होता है, मृतक का ऐसा परिवार, इन विनियमों के अधीन परिवार पेंशन के लिए पात्र होगा ।

39. पारिवारिक पेंशन की अदायगी की अवधि :

(1) जिस अवधि के लिए पारिवारिक पेंशन देय होगी वह नीचे लिखे अनुसार होगी :

(क) विधवा अथवा विधुर के मामले में मृत्यु अथवा पुनर्विवाह की तारीख में से जो भी पहले हो उस तारीख तक;

(ख) पुत्र के मामले में तब तक जब तक वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता; और

(ग) अविवाहित पुत्री के मामले में जब तक वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती अथवा जब तक वह विवाहित नहीं हो जाती, इनमें से जो भी अवधि पहले हो :

परंतु यह शर्त है कि यदि किसी कर्मचारी का पुत्र अथवा पुत्री किसी विसंगति (डिस आर्डर) अथवा मानसिक असमर्थता से ग्रसित हो अथवा वह शारीरिक रूप से इतना (इतनी) विकलांग अथवा असमर्थ हो कि वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद भी जीवन यापन करने के लिए अर्जन करने में असमर्थ हो तो ऐसे पुत्र अथवा पुत्री को उसके जीवनभर निम्नलिखित शर्तों के अधीन पारिवारिक पेंशन देय होगी, नामतः

(i) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री कर्मचारी के दो या दो से अधिक बच्चों में से एक है तो पारिवारिक पेंशन प्रारंभिक रूप से अवयस्क बच्चे को उप-विनियम (1) के खंड (ङ) में निर्धारित क्रम से तब तक देय होगी जब तक वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता और इसके बाद पारिवारिक पेंशन उस पुत्र अथवा पुत्री के पक्ष में फिर से लागू की जाएगी जो विसंगति अथवा मानसिक असमर्थता से ग्रसित है अथवा जो शारीरिक रूप से विकलांग अथवा असमर्थ है तथा वह उसे उसके जीवनभर देय होगी;

(ii) यदि विसंगति अथवा मानसिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे एक से अधिक बच्चे हों तो पारिवारिक पेंशन उनके जन्म के क्रम से अदा की जाएगी तथा उसमें सबसे छोटा बच्चा पारिवारिक पेंशन उसके बाद ही प्राप्त करेगा जब उससे ठीक बड़ा बच्चा उसके बच्चे का पेंशन के लिए पात्र होना बंद हो जाता है :

परंतु यह शर्त है कि जहाँ ऐसे दो बच्चों को पारिवारिक पेंशन दिये हैं वहाँ वह उप-विनियम (1) के खंड (च) में निर्धारित विधि से अदा की जाएगी;

(iii) ऐसे पुत्र अथवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन एक अभिभावक के माध्यम से अदा की जाएगी मानो की वह एक अवयस्क हो और इसका अपवाद शारीरिक रूप से विकलांग ऐसा पुत्र अथवा पुत्री का मामला होगा, जिसने वयस्कता आयु प्राप्त कर ली हो;

(iv) किसी ऐसे पुत्र या पुत्री को जीवनभर की पारिवारिक पेंशन की अनुमति देने से पहले सक्षम प्राधिकारी इसका संतोष कर लेगा कि विकलांगता ऐसे स्वरूप की है जो उसे अपना जीवन-यापन करने के लिए अर्जन करने से रोकती है और इसका साक्ष्य बैंक द्वारा अनुमोदित किसी चिकित्सा अधिकारी से ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा जिनमें यथा संभव यह निर्धारित किया गया हो कि बच्चे की ठीक-ठीक मानसिक अथवा शारीरिक स्थिति क्या है;

(v) ऐसे पुत्र अथवा पुत्री का अभिभावक रूप में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति अथवा अभिभावक के माध्यम से पारिवारिक पेंशन प्राप्त न करने वाला ऐसा पुत्र या पुत्री प्रत्येक तीन वर्षों में बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसकी विसंगति अथवा मानसिक असमर्थता से ग्रस्त होना जारी है अथवा उसकी शारीरिक रूप से विकलांगता अथवा असमर्थ होना जारी है ।

स्पष्टीकरण : इस विनियम में निर्दिष्ट आयु सीमा से बाद की अवधि में असमर्थ बच्चों की पारिवारिक पेंशन का प्रदान किया जाना निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, नामतः-

(i) पुत्री के मामले में वह उस तारीख से पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र बन जाएगी जिसको वह विवाहित हो जाती है;

(ii) ऐसे पुत्र अथवा पुत्री को देय पारिवारिक पेंशन तब बंद हो जाएगी तब वह स्वयं अपने जीवन यापन के लिए अर्जन करना प्रारंभ कर देता है / देती है । ऐसे मामलों में अभिभावक अथवा पुत्र अथवा पुत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक माह बैंक को यह प्रमाणपत्र पेश करे-

(अ) उसने अपना जीवन-यापन करने के लिए अर्जन करना प्रारंभ नहीं किया है;

(आ) पुत्री के मामले में उसने अभी तक विवाह नहीं किया है;

(घ) यदि कोई मृत कर्मचारी अथवा पेंशनर अपने पीछे विधवा अथवा विधुर छोड़ जाता/जाती है तो पारिवारिक पेंशन विधवा अथवा विधुर को देय होगी और ऐसा न होने पर वह, पात्र बच्चे को देय होगी ।

(ङ) बच्चों को पारिवारिक पेंशन उनके जन्म के क्रम में देय होगी और उनमें से छोटा बच्चा तब तक पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं होगा जब तक उससे ठीक बड़ा बच्चा पारिवारिक पेंशन प्रदान किये जाने के लिए अपात्र नहीं बन जाता :

परंतु यह शर्त है कि जहां पारिवारिक पेंशन दो बच्चों को देय है वहाँ वह उप-विनियम (1) के खंड (च) में निर्धारित की गयी विधि से अदा की जाएगी ।

(च) जहाँ पारिवारिक पेंशन दो जुड़वा बच्चों को देय है वहाँ वह बच्चों को बराबर के अंशों में अदा की जाएगी :

परंतु यह शर्त है कि जहाँ ऐसी किसी बच्चे का पात्र होना बंद हो जाता है वहाँ उसका अंश अन्य बच्चे को प्राप्त हो जाएगा और जहाँ दोनों बच्चों का पात्र होना बंद हो जाता है वहाँ पारिवारिक पेंशन, यथास्थिति, दूसरे पात्र अकेले बच्चे अथवा दो जुड़वाँ बच्चों को देय होगी ।

(2) जहाँ मृत कर्मचारी अथवा पेंशनर अपने पीछे एक से अधिक बच्चा छोड़ जाता हैं वहाँ सबसे बड़ा पात्र बच्चा उप-विनियम (1) के यथास्थिति, खंड (ख) अथवा (ग) में उल्लिखित अवधि पारिवारिक पेंशन का पात्र होगा और उस अवधि के समाप्ति के बाद अगला बच्चा पारिवारिक पेंशन प्रदान किये जाने का पात्र बन जायेगा ।

(3) जहाँ इस विनियम के अधीन किसी अवयस्क को पारिवारिक पेंशन मंजूर की गयी हो वहाँ वह अवयस्क की ओर से अभिभावक को देय होगी ।

(4) यदि पति या पत्नि दोनों ही बैंक के कर्मचारी हों और वे इस विनियम के उपबंधों से नियंत्रित होता हैं तथा उनमें से एक सेवा में रहते हुए अथवा सेवानिवृत्ति के बाद मृत हो जाता है तो मृत व्यक्ति से संबंधित पारिवारिक पेंशन जीवित बचनेवाले पति अथवा पत्नी को देय होगी तथा पति अथवा पत्नी की मृत्यु की स्थिति में जीवित रहलेवाले बच्चे अथवा बच्चों को दो पारिवारिक पेंशनें निम्नलिखित सीमाओं के भीतर मृतक माता-पिता के संबंध में प्रदान की जाएंगी, नामतः

(क) यदि जीवित रहने वाला बच्चा अथवा बच्चे, विनियम 38 के उप विनियम (3) के खंड (क) के उप खंड (प) और खंड (ख) के उप खंड (प) में उल्लिखित दरों से दो पारिवारिक पेंशन आहरित करने के पात्र हैं तो दोनों पेंशनों की राशि ऐसे कर्मचारी के मामले में जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख से पहले सेवा निवृत्त होते हैं या मृत होते हैं, के मामले में दो हज़ार पाँच सौ रुपये प्रतिमाह तक तथा ऐसे कर्मचारी के मामले में जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख को सेवानिवृत्त होते हैं या मृत होते हैं के मामले में चार हज़ार आठ सौ रुपये प्रतिमाह तक सीमित होगी ।

(ख) यदि पारिवारिक पेंशनों से किसी एक का विनियम 38ए के उप विनियम (3) के खंड (क) के उप खंड (प) और खंड (ख) के उप खंड (प) में उल्लिखित दरों से देय होना बंद हो जाता है और उसके बदले मे विनियम 38 के उप विनियम (1) में उल्लिखित दर से पारिवारिक पेंशन देय हो जाती है तो दोनों पेंशनों की राशि ऐसे कर्मचारी के मामले में जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख से पहले सेवा निवृत्त होते हैं या मृत होते हैं, के मामले में दो हज़ार पाँच सौ रुपये प्रतिमाह तक तथा ऐसे कर्मचारी के मामले में जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख को सेवानिवृत्त होते हैं या मृत होते हैं के मामले में, चार हज़ार आठ सौ रुपये प्रतिमाह तक सीमित कर दी जाएगी ।

(ग) यदि दोनों पारिवारिक पेंशनें विनियम के 38 उप विनियम (1) में उल्लिखित दर से देय हैं तो दोनों पेंशनों की राशि ऐसे कर्मचारी के मामले में जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख से पहले सेवा निवृत्त होते हैं या मृत होते हैं, के मामले में एक हज़ार दो सौ पचास रुपये प्रतिमाह तक तथा ऐसे कर्मचारी के मामले मे जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख को सेवानिवृत्त होते हैं या मृत होते हैं के मामले में दो हज़ार चार सौ रुपये प्रतिमाह तक सीमित कर दी जाएगी ।"

(5) (क) जहाँ पारिवारिक पेंशन विनियम 38, के उप विनियम (1) में उल्लिखित दर से हैं तो दोनों पेंशनों की राशि दो हजार चार सौ रुपये तक सीमिति की जाएगी ।

(ख) किसी विधवा की मृत्यु होने पर उसके पारिवारिक पेंशन का अंश उसके पात्र बच्चे को देय हो जाएगा :

परंतु यह शर्त है कि यदि विधवा का कोई बच्चा जीवित न हो तो पारिवारिक पेंशन का उसका अंश नहीं होगा और वह अन्य विधवाओं को बराबर-बराबर अंशों में देय होगा अथवा यदि केवल एक ही ऐसी अन्य विधवा हो तो वह उसे पूरी अदा की जाएगी;

(ग) जहाँ मृत कर्मचारी अथवा पेंशनर की विधवा जीवित है परंतु उसने अपने पीछे किसी ऐसी अन्य पत्नी का पात्र बच्चा अथवा बच्चे छोड़े हों जो जीवित नहीं हैं वहाँ पात्र बच्चा अथवा बच्चे पारिवारिक पेंशन के उस अंश के पात्र होंगे जो उसकी / उनकी मां को तब प्राप्त हुआ होता जब वह कर्मचारी अथवा पेंशनर की मृत्यु के समय जीवित होती; परंतु यह शर्त है कि ऐसे बच्चे अथवा बच्चों, अथवा विधवा अथवा विधवाओं को देय पारिवारिक पेंशन के अंश अथवा अंशों का देय होना बंद हो जाने पर वह अथवा वे व्यपगत नहीं होंगे परंतु वे उसे अन्य विधवा अथवा उन अन्य विधवाओं अथवा उस अन्य बच्चे अथवा उन अन्य बच्चों को बराबर-बराबर के अंश में देये होंगे जो अन्यथा पात्र हो / हों और यदि केवल एक विधवा अथवा बच्चा हो तो वह ऐसी विधवा अथवा बच्चे को पूरी की पूरी अदा की जाएगी;

(घ) जहाँ पारिवारिक पेंशन को बच्चों को देय हैं वहाँ वह उन बच्चों को उपर्युक्त उप विनियम (1) के खंड (च) में निर्दिष्ट विधि से अदा की जाएगी;

(ङ) इस विनियम में यथा उपबंधित इस स्थिति को छोड़कर पारिवारिक पेंशन एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों को एक ही समय में देय नहीं होगी ।

(6) जहाँ कोई महिला कर्मचारी अथवा पुरुष कर्मचारी अपने पीछे न्यायिक रूप से संबंध विच्छेद हुए पति अथवा विधवा और कोई बच्चा अथवा बच्चे अपने पीछे छोड़कर नहीं मर जाता है तब मृत कर्मचारी से संबंधित पारिवारिक पेंशन, जीवित रहनेवाले व्यक्ति को देय होगी :

परंतु यह शर्त है कि जहाँ व्यभिचार के आधार पर न्यायिक संबंध विच्छेद मंजूर किया गया हो और ऐसे न्यायिक संबंध विच्छेद की अवधि के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है ऐसे मामले में पारिवारिक पेंशन जीवित रहने वाले व्यक्ति को देय नहीं होगी । बशर्ते जीवित रहनेवाला व्यक्ति व्यभिचार करने का दोषी ठहराया गया हो ।

(7) (क) जहाँ कोई महिला कर्मचारी अथवा पुरुष कर्मचारी अपने पीछे न्यायिक रूप से संबंध विच्छेद हुए पति/पत्नी अथवा बच्चे या बच्चों को छोड़कर मृत हो जाती हैं ऐसे मामले में पारिवारिक पेंशन जीवित रहनेवाले व्यक्ति को देय नहीं होगी । बशर्ते जीवित रहनेवाला व्यक्ति व्यभिचार करने का दोषी ठहराया गया हो ।

(ख) जहाँ जीवित बचने वाले व्यक्ति का ऐसे बच्चे अथवा बच्चों का अभिभावक होना बंद हो जाता है वहाँ ऐसी पारिवारिक पेंशन उस व्यक्ति को देय होगी जो ऐसे बच्चे अथवा बच्चों का वास्तविक अभिभावक हो ।

(8) यदि पारिवारिक पेंशन प्रदान किये जाने के पात्र पुत्र अथवा पुत्री अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता/लेती है जो पारिवारिक पेंशन ऐसे पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री को सीधे ही अदा की जा सकती है।

(9) (क) जो व्यक्ति किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में इस विनियमावली के अधीन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का पात्र है । उस पर किसी कर्मचारी की हत्या करने का अपराध का दोष लगाया गया है अथवा ऐसा अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करने का अपराध का दोष लगाया गया है तो पारिवारिक के अन्य पात्र सदस्य अथवा सदस्यों सहित ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का दावा तब तक विलंबित बना रहेगा जब उसके विरूद्ध शुरू की गयी अपराधी कार्रवाई का निष्कर्ष नहीं निकलता ।

(ख) यदि खंड (क) में उल्लिखित अपराधिक कार्रवाई का निष्कर्ष निकलने पर संबंधित व्यक्ति -

(i) किसी कर्मचारी की हत्या करने अथवा उसकी हत्या को प्रोत्साहित करने का दोषी पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति पर पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने से रोक लगा दी जाएगी तथा जो कर्मचारी की मृत्यु होने की तारीख से परिवार के अन्य पात्र सदस्यों को देय होगी ।

(ii) किसी कर्मचारी की हत्या करने अथवा उसको प्रोत्साहित करने के दोष से मुक्त कर दिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के तारीख से देय होगी ।

(ग) किसी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति के बाद उसकी मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन के देय होने के लिए उप खंड (क) और (ख) के उपबंध भी लागू होंगे ।

अध्याय VIII

सारांशीकरण (कॉम्युटेशॅन)

40. सारांशीकरण

(1) कोई भी कर्मचारी एक मुश्त राशि की अदायगी के लिए अपनी पेंशन के एक तिहाई से अधिक न होने वाले अंश का सारांशीकरण करने का पात्र होगा :

परंतु यह शर्त है कि जो कर्मचारी इस विनियमावली के विनियम 3 के उप विनियम (4) से नियंत्रित होता है । ऐसे कर्मचारी का परिवार कर्मचारी को स्वीकार्य पेंशन के एक तिहाई से अधिक न होनेवाले अंश का एकमुश्त अदायगी के लिए सारांशीकरण करने का पात्र नहीं होगा ।

(2) कोई भी कर्मचारी पेंशन का वह अंश सूचित करेगा जिसका वह सारांशीकरण करना चाहता है और वह या तो एक तिहाई पेंशन की अधिकतम सीमा अथवा ऐसी कम सीमा सूचित कर सकता है जिसे सारांशीकृत करने की उसकी इच्छा हो ।

(3) यदि सारांशीकृत किये जाने के पेंशन के परिणामस्वरूप रुपये का कोई अंश होता है तो रुपये का ऐसा अंश सारांशीकरण के प्रयोजन के लिए छोड़ दिया जाएगा ।

(4) किसी आवेदक को देय एकमुश्त राशि का हिसाब नीचे दी गई सारणी के अनुसार लगाया जाएगा ।

सारणी

1/- रुपया वार्षिक की पेंशन का सारांशीकरण मूल्य

अगले जन्म दिन को आयु	खरीदे गये वर्षों की संख्या के रूप में व्यक्त किये गये सारांशीकरण का मूल्य	अगले जन्म दिन को आयु	खरीदे गये वर्षों की संख्या के रूप में व्यक्त किये गये सारांशीकरण का मूल्य
17	19.28	51	12.95
18	19.20	52	12.66
19	19.11	53	12.35
20	19.01	54	12.05
21	18.91	55	11.73
22	18.81	56	11.42
23	18.70	57	11.10
24	18.59	58	10.78
25	18.47	59	10.46
26	18.34	60	10.13
27	18.21	61	9.81
28	18.07	62	9.48
29	17.93	63	9.15
30	17.78	64	8.82

31	17.62	65	8.50
32	17.46	66	8.17
33	17.29	67	7.85
34	17.11	68	7.53
35	16.92	69	7.22
36	16.72	70	6.60
37	16.52	71	6.30
38	16.31	72	6.30
39	16.09	73	6.01
40	15.87	74	5.72
41	15.64	75	5.44
42	15.40	76	5.17
43	15.15	77	4.90
44	14.90	78	4.65
45	14.64	79	4.40
46	14.37	80	4.17
47	14.10	81	3.94
48	13.82	82	3.72
49	13.54	83	3.52
50	13.25	84	3.32
		85	3.13

टिप्पणी :

(1) उपर्युक्त सारणी में पेंशनर के अगले जन्म दिन की आयु के संदर्भ में खरीद के वर्षों की संख्या के रू में व्यक्त पेंशन का सारांशीकरण मूल्य दर्शाया गया है । अट्ठावन वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होन वाले कर्मचारी के मामले में सारांशीकृत मूल्य 10.46 वर्षों की खरीद है और इसलिए यदि वह अपन सेवानिवृत्त के एक वर्ष के भीतर अपनी पेंशन के सौ रुपयों का सारांशीकरण करता है तो उसे देय एक मुश्त राशि हिसाब लगाने पर 100 रुपये × 10.46×12 = 12,552/- रुपये होती है ।

(2) जिस कर्मचारी ने पेंशन का स्वीकार्य भाग सारांशीकृत किया है वह इसका पात्र होगा कि वह सारांशीकृत की तारीख से पन्द्रह वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद उसे बहाल कर ले ।

(3) जो आवेदक अधिवर्षिता पेंशन, स्वैच्छिक पेंशन, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पेंशन, समय पूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन, अशक्तता पेंशन अथवा अनुकंपा भत्ता के लिए प्राधिकृत है वह इस विनियमावली के अधीन अपनी पेंशन के एक अंश का सारांशीकरण करने का पात्र होगा ।

(4) जो पेंशनर अधिवर्षिता पेंशन अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति पेंशन का पात्र है उसके मामले में किसी डॉक्टरी परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते सारांशीकरण का आवेदन पत्र सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिया गया हो । परंतु यदि पेंशनर अपनी सेवानिवृत्ति के

तारीख से एक वर्ष के बाद पेंशन के सारांशीकरण के लिए आवेदन करता है तो उसकी अनुमति डॉक्टरी परीक्षा के अधीन दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण : जो आवेदक

(i) इस विनियमावली विनियम के 29 के अधीन अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्ति होता है: अथवा

(ii) जो इस विनियमावली के विनियम 30 के अधीन अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहा है: अथवा

(iii) जो बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है जो विनियम 32 के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन का पात्र हैं उसके द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे योग्य घोषित कर देने के बाद वह उप विनियम (1) में निर्दिष्ट सीमा के अधीन अपने पेंशन का एक अंश सारांशीकृत करने का पात्र होगा ।

(5) ऐसे कर्मचारी के मामले में पेंशन का सारांशीकरण निम्नलिखित मामले में निरपेक्ष बन जाएगा ।

(क) जो अधिवर्शिता अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने पर सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले पड़ने वाली सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद की तारीख को पेंशन के सारांशीकरण का आवेदन प्रस्तुत करता है :

परंतु यह शर्त है कि विनियम 28 के उप विनियम (3) के कर्मचारी तीन महीनों की सूचना की अवधि की समाप्ति से पहले अपने पेंशन के एक भाग के सारांशीकरण के लिए आवेदन नहीं करेगा और पेंशन का सारांशीकरण तभी निरपेक्ष बनेगा जब विनियम 28 के उप विनियम (1) में उल्लिखित सूचना की अवधि समाप्त हो जाएगी ।

(ख) अधिवर्षिता, अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा समय पूर्व सेवानिवृत्ति से सेवानिवृत्ति होने वाला जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद परंतु सेवानिवृत्ति की तारीख के एक वर्ष के पूरा होने से पहले पेंशन के सारांशीकरण के लिए आवेदन करता है और उसका आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है ।

(ग) अधिवर्षिता, अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा समय पूर्व सेवानिवृत्ति से सेवानिवृत्त होने वाला जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के बाद बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी के डॉक्टरी प्रमाणपत्र दिये जाने की तारीख को आवेदन करता है ।

(घ) ऐसा कर्मचारी जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख से सेवानिवृत्त होता है तथा जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख से इस विनियमावली से अधिशासित होने का विकल्प चुनता है, जहाँ सारांशीकरण के लिए आवेदन, विनियन 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) में निर्धारित अवधि में किया जाता है;

(ङ) ऐसा अधिकारी जो बैंक की सेवा में नवम्बर 1993 की पहली तारीख को अथवा उसके बाद था, पहले सेवा निवृत्त होता है, परन्तु जो विनियम 3 के उप-विनियम (2) के खण्ड (ख) में निर्धारित अवधि के भीतर, उनके सेवानिवृत होने के तुरन्त बाद के दिन को आवेदन करता है;

(च) जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं परंन्तु जिनकी मृत्यु अधिसूचित किये जाने से अगले दिन होती है तथा जहाँ मृतक के परिवार द्वारा सारांशीकरण के लिए आवेदन पत्र, विनियम 3 के उप-विनियम (5) के खंड (क) द्वारा निर्धारित अवधि में किया जाता है;

(छ) जिस कर्मचारी को विनियम 29 के अधीन अशक्तता पेंशन अथवा विनियम 30 के अधीन अनुकंपा भत्ता अथवा विनियम 32 के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए अशक्तता पेंशन स्वीकार्य है उसके संबंध में सारांशीकरण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये डाक्टरी प्रमाणपत्र की तारीख को निरपेक्ष बन जायेगा। "

अध्याय IX

सामान्य शर्तें

41. पेंशन भावी अच्छे आचरण के अधीन होगी

इस विनियमावली के अधीन पेंशन के प्रत्येक स्वीकृत और उसका जारी रहने के लिए भावी अच्छा आचरण एक निहित शर्त होगी ।

42. पेंशन का रोक रखना अथवा उसका वापस लिया जाना

सक्षम प्राधिकारी लिखित आदेश से पेंशन अथवा उसके किसी भाग को तब रोक रख सकता है अथवा तब उसे वापस ले सकता है भले ही ऐसा स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए क्यों न किया जाए जब पेंशनर को किसी अपराध न्यास के अपराधिक भंग अथवा जालसाजी अथवा धोखाधड़ी पूर्वक कार्य करने के लिए दोषी पाया गया हो अथवा गंभीर दुराचरण के लिए अपराधी पाया गया हो :

परंतु जहाँ पेंशन का कोई भाग रोक लिया जाता है अथवा वापस लिया जाता है वहाँ ऐसी पेंशन की राशि उस न्यूनतम मासिक पेंशन से कम नहीं की जाएगी जो इस विनियमावली के अधीन देय है ।

43. न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध करना

जहाँ किसी पेंशनर को किसी विधि न्यायालय द्वारा गंभीर अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो वहाँ दोषसिद्धि से संबंधित न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई की जाएगी ।

44. गंभीर दुराचरण का अपराधी पेंशन

यदि विनियम 43 के अधीन न आने वाले किसी मामले में सक्षम प्राधिकारी यह सोचता है कि पेंशनर प्रत्यक्ष रूप से दुराचरण का अपराधी है तो वह आदेश पारित करने से पहले, यथास्थिति, आचरण, अनुशासन, अपील विनियमावली के विनियम 25 अथवा सेवा शर्तों में निर्धारित क्रियाविधि का पालन करेगा।

45. अनंतिम पेंशन

(1) जो कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर अथवा अन्यथा सेवानिवृत्त हुआ है और जिसके विरुद्ध कोई विभागीय अथवा न्यायिक कार्रवाई शुरू की गयी है अथवा जिसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई जारी है उस अधिकतम पेंशन के बराबर की अनंतिम पेंशन की अनुमति दी जाएगी जो उसे स्वीकार्य हुई होती । यह अनुमति इस समायोजन के अधीन होगी जो कार्रवाइयों के समापन पर उसे स्वीकृत अंतिम सेवानिवृत्त के लाभों में से किया जाएगा परंतु जहाँ अंतिम रूप से स्वीकृत पेंशन अनंतिम पेंशन से कम अथवा जहाँ पेंशन कम कर दी गयी है अथवा स्थायी रूप से अथवा किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए रोककर रखी गयी है वहाँ वह ऐसे पेंशन से कम है ।

(2) ऐसे मामलों में उक्त कर्मचारी को उपदान तब तक अदा नहीं किया जाएगा जब तक उसके विरुद गयी कार्रवाइयाँ समाप्त नहीं हो जाती । उसे उपदान कार्रवाइयों के निर्णय के अधीन उनकी स पर अदा किया जाएगा । कर्मचारी से की जाने वाली कोई भी वसूलियाँ देय उपदान की देय राशि समायोजित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण :- इस अध्ययन में

(क) 'गंभीर अपराध ' अभिव्यक्ति में शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 (1923 संख्यांक अधीन किसी अपराध से संबंधित अपराध शामिल हैं ।

(ख) 'गंभीर दुराचरण' अभिव्यक्ति में ऐसा कोई भी गुप्त शासकीय कूट अथवा संकेत शब्द (पा कोई स्केच, नक्शा, प्रतिरूप, वस्तु, नोट, प्रलेख अथवा सूचना का संप्रेषित किया जाना प्रकटन शामिल है जिसका उल्लेख शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का स 19) की धारा 5 में किया गया है और जो बैंक में किसी पद को धारित करते हुए प्राप्त व थी ताकि उससे सामान्य जनता के हितों अथवा राजकीय सुरक्षा पर प्रतिपूर्ण रूप से प्रभाव

(ग) 'धोखाधड़ी' अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका अर्थ भारतीय दंड संहिता, 186(का संख्यांक 45) की धारा 25 के अधीन उसके लिए निर्धारित किया गया;

(घ) 'न्यास' के अपराधिक भंग' अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका अर्थ भारतीय दंड 1860 (1860 का संख्यांक 45) की धारा 405 के अधीन उसके लिए निर्धारित किया गया;

(ङ) 'जालसाजी' अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका अर्थ भारतीय दंड संहिता, 186 का संख्यांक 45) की धारा 463 के अधीन उसके लिए निर्धारित किया गया;

46. विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान पेंशन का सारांशीकरण

जिस कर्मचारी के विरुद्ध उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले विभागीय अथवा न्यायिक का प्रारंभ की गयी हैं अथवा जिस व्यक्ति के विरुद्ध उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद ऐसी का प्रारंभ की गयी हैं वह, यथास्थिति, अनंतिम पेंशन अथवा पेंशन के अंश का ऐसी कार्यवा विचाराधीन रहने के दौरान ऐसा सारांशीकरण किये जाने का पात्र नहीं होगा जिसके लिए वह इन के अधीन प्राधिकृत है ।

47. बैंक को हुई आर्थिक हानि की वसूली

(1) यदि किन्हीं विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाहियों में पेंशनर को गंभीर दुराचरण, लापरवाही अथवा न्यास के आपराधिक भंग अथवा जालसाजी अथवा उसको सेवा की अवधि के दौरान धोखाखड़ी से किये गये कार्यों का दोषी पाया जाता है तो सक्षम पेंशन अथवा उसके किसी भाग को रोक सकता है, अथवा वापस ले सकता है भले ही ऐसा किया जाना स्थायी रूप से अथवा किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए क्यों न हो तथा वह प्राधिकारी बैंक को हुई किसी आर्थिक हानि के पूरे अथवा आंशिक भाग की वसूली के लिए पूरी पेंशन अथवा उसके भाग में से बैंक को हुई आर्थिक हानि की वसूली का आदेश दे सकता है :

परंतु यह शर्त है कि अंतिम आदेश पारित किये जाने से पहले मण्डल से परामर्श किया जाएगा परंतु इसके अतिरिक्त यह शर्त भी है कि यदि विभागीय कार्यवाहियाँ कर्मचारी के सेवा में रहने के दौरान प्रारंभ की जाती हैं तो वे कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद इस विनियमावली के अधीन होनेवाली कार्यवाहियाँ मानी जाएंगी और वे जारी रहेंगी तथा उनका निष्कर्ष उस प्राधिकारी द्वारा उसी विनियमावली के अधीन होने वाली कार्यवाहियाँ मानी जाएंगी और वे जारी रहेंगी तथा उनका निष्कर्ष उस प्राधिकारी द्वारा उसी विधि से निकाला जाएगा जिसके द्वारा वे शुरू की गयी थीं माने कि कर्मचारी का सेवा में बना रहना जारी था :

यह भी शर्त है कि जब कर्मचारी सेवा में था उस समय यदि कोई विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाहियाँ प्रारंभ नहीं की गयी थी तो वे ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में प्रारंभ नहीं की जाएंगी जो उस घटना के संबंध में उत्पन्न हुई हों जो ऐसे कार्यवाहियां प्रारंभ किये जाने के चार वर्षों से भी पहले हुई हों ।

(2) जहां सक्षम प्राधिकारी पेंशन से आर्थिक हानि की वसूली का आदेश देता है वहां वसूली सामान्यतः उस दर से की जाएंगी जो कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख को स्वीकार्य पेंशन के एक तिहाई से अधिक नहीं होगीः

परंतु यह शर्त है कि जहां पेंशन का कोई भाग रोके रखा गया है अथवा वापस लिया गया है वहाँ पेंशनर द्वारा आहरित पेंशन की राशि इस विनियमावली के अधीन देय न्यूनतम पेंशन से कम नहीं होगी ।

48. बैंक की देय राशियों की वसूली

बैंक इसका हकदार होगा कि वह आवास ऋण, अग्रिमों, लाइसेंस शुल्कों और अन्य वसूलियों की देय राशियों को पेंशन के सारांशीकृत मूल्य अथवा पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन में से वसूल कर ले ।

49. सेवानिवृत्ति के बाद वाणिज्यिक नियोजन

(1) ऐसा कोई पेंशनर जो अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले किसी अधिकारी का पद धारण कर रहा था और जो अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्षों की समाप्ति से पहले कोई वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करना चाहता है तो वह ऐसी स्वीकृति के लिए बैंक की पूर्व मंजूरी प्राप्त करेगा ।

(2) उप विनियम (3) के उपबंध के अधीन बैंक पेंशनर के आवेदन पर पत्र पर लिखित रूप से आदेश देकर ऐसी शर्तों के अधीन, बशर्ते की वे हों जिन्हें वो आवश्यक समझे, पेंशनर को आवेदन पत्र में निर्दिष्ट वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने की अनुमति दे सकता है अथवा वह आदेश में दर्ज किये गये कारणों से ऐसी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है ।

(3) पेंशनर को उप विनियम (2) के अधीन वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करने या उसके लिए इन्कार करने में बैंक निम्नलिखित तत्वों पर ध्यान देगा, नामतः -

(क) ग्रहण किये जाने के लिए प्रस्तावित नियोजन का स्वरूप और नियोक्ता के पूर्ववृत्त;

(ख) जिस नियोजन को वह ग्रहण करने का प्रस्ताव कर रहा है क्या उसके कर्तव्य ऐसे हैं जिससे वह बैंक के विरोध में खड़ा होता हो;

(ग) क्या पेंशनर सेवा में रहते हुए उस नियोक्ता के साथ कोई ऐसे संबंध से जिसके अधीन उसने नियोजन प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा है जिनसे यह संदेह करने का उचित आधार हो सकता है कि ऐसे पेंशनर ने उक्त नियोक्ता के प्रति पक्षपात दर्शाया है;

(घ) क्या प्रस्तावित वाणिज्यिक नियोजन के कर्तव्यों में बैंक के साथ संपर्क अथवा संविदा निहित है;

(ङ) क्या उसके वाणिज्यिक कर्तव्य ऐसे होंगे कि बैंक के अधीन उसके पिछले शासकीय पद अथवा जानकारी अथवा अनुभव का उपयोग प्रस्तावित नियोक्ता को अनुचित लाभ दिये जाने के लिए दिया जा सकता है ।

(च) प्रस्तावित नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली परिलब्धियां: और

(छ) कोई अन्य संगत तत्व ।

(4) जहां उप विनियम (3) के अधीन आवेदन पत्र होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर बैंक, आवेदन की गयी अनुमति प्रदान करने से इंकार नहीं करता अथवा आवेदक को इंकार की सूचना नहीं देता वहां यह माना जाएगा की बैंक ने यथा आवेदित अनुमति प्रदान कर दी है :

परंतु यह शर्त है कि जिस मामले में आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दोषपूर्ण अथवा अपर्याप्त सूचना प्रदान की गयी है और जहाँ बैंक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह कर्मचारी से अतिरिक्त स्पष्टीकरण अथवा सूचना मांगे, वहां आठ दिनों की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी । जिसको आवेदक द्वारा दोष ठीक कर दिये गये होंगे अथवा पूरी जानकारी प्रदान कर दी गयी होगी ।

(5) जहाँ बैंक किन्हीं शर्तों के अधीन आवेदित अनुमति प्रदान करता है । अथवा ऐसी अनुमति के लिए इंकार करता है वहाँ आवेदक इस आशय का बैंक का आदेश प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर ऐसी शर्त अथवा इंकार किये जाने के विरुद्ध प्रतिवेदन कर सकता है और बैंक उस पर ऐसे आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे :

परंतु यह शर्त है कि ऐसी शर्त को रद्द करनेवाला अथवा किन्हीं शर्तों के बिना ऐसी अनुमति प्रदान करने के आदेश को छोड़कर इस उप विनियम के अधीन कोई अन्य आदेश प्रतिवेदन करनेवाले पेंशनर को यह कारण बताने का अवसर दिये बिना नहीं दिया जाएगा कि प्रस्तावित आदेश क्यों दिया गया है।

(6) यदि कोई पेंशनर अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्षों के अवधि की समाप्ति के पहले किसी समय कोई वाणिज्यिक नियोजन बैंक की पूर्व अनुमति लिये बिना ग्रहण करता है अथवा किसी ऐसी शर्त को भंग करता है जिसके अधीन कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने की अनुमति इस विनियम के अधीन उसे प्रदान की गयी है तो बैंक के लिए यह उचित होगा कि वह लिखित रूप के आदेश से और उसमें दर्ज किये जाने वाले कारणों के लिए यह घोषित करे कि वह कर्मचारी पूरी पेंशन अथवा उसके ऐसे भाग का ऐसी अवधियों के लिए पात्र नहीं होगा जो आदेश में निर्दिष्ट की जायें अथवा की जायें :

परंतु यह शर्त है कि संबंधित पेंशनर को इनका अवसर दिये बिना कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा कि वह ऐसी घोषणा के विरुद्ध कारण दे :

(i) संबंधित पेंशनर की वित्तीय परिस्थितियां

(ii) संबंधित पेंशनर द्वारा ग्रहण किये गये वाणिज्यिक नियोजन का स्वरूप और उसकी परिलब्धियां; और

(iii) कोई अन्य संबंधित तथ्य

(7) इस विनियम के अधीन बैंक द्वारा पारित किया गया प्रत्येक आदेश संबंधित पेंशनर को सूचित किया जाएगा।

(8) इस विनियम में "वाणिज्यिक नियोजन" अभिव्यक्ति का अर्थ -

(i) किसी कंपनी (बैंकिंग कंपनी सहित) सहकारी समिति फर्म अथवा व्यापारी, वाणिज्यिक औद्योगिक वित्तीय अथवा व्यवसायिक कारोबार में लगे व्यक्ति के अधीन एजेंट की हैसियत सहित किसी भी हैसियत का नियोजन है और इसमें ऐसी कंपनी (बैंकिंग कंपनी सहित) के निदेशक का पद और ऐसी फर्म की भागीदारी भी शामिल है परंतु उसमें किसी ऐसी कंपनी निकाय के अधीन नियोजन शामिल नहीं है जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के पूर्णतः अथवा काफी अधिक स्वामित्व में हो अथवा उसके द्वारा नियंत्रित हो;

(ii) ऐसे जिन निम्नलिखित मामलों में पेंशन सलाहकार अथवा परामर्श के रूप में या तो स्वंतत्र रूप से अथवा किसी फर्म के भागीदार के रूप में अपना व्यवसाय स्थापित करता है -

(अ) जिनमें उसकी कोई व्यवसायिक योग्यतायें नहीं है और जिन मामलों में व्यवसाय स्थापित किया जाना है अथवा चलाया जाना है वे उसकी शासकीय जानकारी अथवा अनुभव से संबंद्ध किये जा सकते हैं; अथवा

(आ) जिनमें उसकी व्यावसायिक योग्यतायें हैं परंतु जिन मामलों के संबंध में ऐसा व्यवसाय स्थापित किया जाना है उनसे इसकी संभावना है कि वे ग्राहकों को पेंशनर की पिछले शासकीय पद के कारण अनुचित लाभ प्रदान करेंगे; अथवा

(इ) जिनमें उसके लिए ऐसा कार्य हाथ में लेना निहित हो कि उसे बैंक के कार्यालय अथवा अधिकारियों के साथ संपर्क करना अथवा संबंद्ध बनाना होगा ।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए "सहकारी समिति के अधीन नियोजन" अभिव्यक्ति में कोई भी पद धारित करना शामिल है भले ही वह अध्यक्ष, चेयरमैन, प्रबंधक, सचिव, खजांची और इनके जैसे पदों वाला जिसे ऐसी समिति में किसी भी नाम से पुकारा जाए, जैसा चयन वाला या अन्यथा कोई पद क्यों न हो ।

50. नामांकन .

(1) इस विनियमावली से नियंत्रित होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को न्यास इसकी अनुमति देगा कि वह एक या उसके अधिक व्यक्तियों को यह अधिकार देने वाला नामांकन करे कि वह अथवा वे इससे पहले उसकी मृत्यु होने की स्थिति में इस विनियमावली के अधीन पेंशन संबंधी लाभों की राशि प्राप्त करे अथवा करें। जब उक्त राशि देय हो जाती है अथवा वह देय तो हो जाती है परंतु अदा नहीं की जाती । ऐसा नामांकन ऐसे प्रपत्र (फार्म) में किया जाएगा जो बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए ।

(2) यदि कोई कर्मचारी उप विनियम (1) से अधिक व्यक्तियों का नामांकन करता है तो वह अपने नामांकन में प्रत्येक नामिती की देय राशि अथवा अंश का उल्लेख ऐसी विधि से करेगा की पेंशन संबंधी लाभों की वह संपूर्ण राशि पूरी हो जाये जो उसकी मृत्यु होने की स्थिति में देय हो सकती हो ।

(3) किसी कर्मचारी द्वारा किये गये नामांकन में उसके संशोधन अथवा प्रतिसंहरण करने के इरादे की न्यास को लिखित सूचना ऐसे प्रपत्र में देने के बाद उसके द्वारा किसी भी समय ऐसा संशोधन अथवा प्रतिसंहरण किया जा सकता है जो बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए ।

(4) कोई भी नामांकन अथवा उसका प्रतिसंहरण अथवा संशोधन उस सीमा तक प्रभावी होगा जो उस तारीख को विधि मान्य हो जिसको न्यास द्वारा वह प्राप्त हुआ ।

51. वह तारीख जिससे पेंशन देय हो जाती है

(1) जिस कर्मचारी पर विनियम 42 और विनियम 45 के उपबंध लागू होते हैं उसके मामले को छोड़कर किसी कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन को छोड़कर पेंशन उस तारीख से देय होगी जो किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने की तारीख के बाद की तारीख अथवा नवम्बर 1993 की पहली तारीख में से जो भी बाद में हो वह तारीख हो ।

(2) पारिवारिक पेंशन कर्मचारी अथवा पेंशन की मृत्यु की तारीख के बाद की तारीख अथवा नवम्बर 1993 की पहली तारीख में से जो भी बाद में हो उससे देय हो जाएगी ।

(3) पारिवारिक पेंशन सहित पेंशन उस दिन के लिए देय होगी जिस दिन पेंशन प्राप्तकर्ता कर्मचारी की मृत्यु होती है ।

52. मुद्रा जिसमें पेंशन अदा की जाएगी

इस विनियमावली के अधीन स्वीकार्य सभी पेंशन भारत के केवल रुपयों में देय होगी ।

53. पेंशन की अदायगी की विधि

मासिक दर से निर्धारित पेंशन अगले माह की पहली तारीख को अथवा उसके बाद मासिक देय होगी ।

54. अनुदेश जारी करने की शक्ति

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समय-समय पर ऐसे अनुदेश जारी कर सकते हैं जो इस विनियमावली के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अथवा समीचीन समझे जाए ।

55. अविशिष्ट उपबंध

यदि इस विनियमावली के लागू होने के मामले में कोई संदेह होता है तो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली 1972, अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन की सारांशीकरण) नियमावली, 1981 के तदनुरूपी उपबंध का ध्यान ऐसे अपवादों और संशोधनों सहित रखा जाना है जिन्हें बैंक, केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से समय-समय पर निर्धारित करे ।

(विनियम 34 देखिये)

(क) जो कर्मचारी 01-01-1986 से 31-10-1987 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं उनकी मूल पेंशन और अतिरिक्त पेंशन अद्यतन बनाने के सूत्र नीचे लिखे अनुसार होंगे :

I. 1-1-1986 से 31-10-1987 के दौरान सेवानिवृत्त

अ. (1) मूल पेंशन को बढ़ाकर निम्नलिखित राशि तक कर दिया जाएगा,

(क) पेंशन के लिए संगणनीय औसत परिलब्धियों के पहले 1,000/- रुपये का 50 प्रतिशत ____________रुपये

(ख) अगले 500 रुपये का 45 प्रतिशत ____________रुपये

(ग) पेंशन के लिए संगणनीय औसत परिलब्धियों के 1500 से अधिक रुपयों का 40 प्रतिशत ____________रुपये

(क+ख+ग) का कुल जोड़ ____________रुपये (अ)

आ. सेवानिवृत्ति से पहले की सेवा के पिछले 10 माह की औसत परिलब्धियों का 50 प्रतिशत ____________रुपये(आ)

इ. नीचे दी गई सारणी के अनुसार उपर्युक्त (1) से हिसाब लगाई मूल पेंशन के लिए औद्योगिक कामगार शृंखला 1960=100 के अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य के सूचकांक संख्या 600 पर महंगाई राहत ____________रुपये (इ)

ई. कुल बढ़ी हुई मूल पेंशन

= (आ) + (इ) × वर्षों की संख्या = अर्हक सेवा (अधिकतम 33 वर्ष) के बराबर ________रुपये(ई)

33

उ. 1-11-1993 को 33 मूल पेंशन (अगले अधिक रुपये तक पूर्णांकित) ________रुपये(उ)

(2) अतिरिक्त पेंशन के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, अधिकारी सेवा विनियमावली की शर्तों के अनुसार भविष्य निधि में अंशदान करने की हकदार होने वाली निधि की सीमा तक ऐसे विशेष भत्ते जो सेवानिवृत्ति के समय आहरित विशेष भत्तों के बराबर हों ।

सारणी

अधिकारी संवर्ग के लिए 1-1-1986 से 31-10-1987 तक की अवधि के दौरान औद्योगिक कामगार शृंखला 1960=100 के अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की सूचकांक संख्या 600 से हिसाब लगाई गई महंगाई राहत की दरें नीचे लिखे अनुसार होंगी ।

(i) 765/- रुपये मासिक तक की मूल पेंशन आहरित करने वाले अधिकारियों के लिए	अधिकतम 500/- रुपये के अधीन उपर्युक्त अ (1) में हिसाब लगाये अनुसार पेंशन की राशि का 66 प्रतिशत
(ii) 765/- रुपये से लेकर 1165/- रुपये मासिक या इससे अधिक की मूल पेंशन आहरित करने वाले अधिकारियों के लिए	500/- रुपये
(iii) 1166/- रुपये मासिक या इससे अधिक की मूल पेंशन आहरित करने वाले अधिकारियों के लिए	715/- रुपये की अधिकतम राशि के अधीन उपर्युक्त अ (1) के अनुसार हिसाब लगाई पेंशन की राशि का 42.90 प्रतिशत

II. 1-7-1993 को या उसके बाद परंतु 1-5-1994 के पहले सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी

(ख) जो अधिकारी संवर्ग जुलाई 1993 की पहली तारीख को या उसके बाद परंतु मई 1994 की पहली तारीख से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं उनकी मूल पेंशन अद्यतन करने का सूत्र, नीचे लिखे अनुसार होगा :

(1) अर्हक सेवा के पिछले 10 माह के दौरान पुराने वेतन मानों के अनुसार माह/माहों का आहरित कुल वेतन ___________रुपये

(2) उपर्युक्त (1) में हिसाब लगाये गये प्रत्येक माह के वेतन के लिए वास्तव में आहरित महँगाई भत्ते अथवा 1148 अंकों का महँगाई भत्ते में से जो भी कम हो __________ रुपये

(3) उपर्युक्त (1) के अनुसार आहरित कुल वेतन और उसमें उपर्युक्त (2) के अनुसार कुल महँगाई भत्ता जोड़कर निकाली गयी कुल राशि __________ रुपये

(4) जिस माह में कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है उसके सहित अर्हक सेवा के पिछले 10 माह के दौरान माह/माहों के संशोधित वेतनमानों के अनुसार आहरित कुल वेतन

(5) स्तंभ (3) और (4) का जोड़ __________ रुपये

(6) पेंशन के प्रयोजन के लिए औसत परिलब्धियों

$$\frac{\text{अर्थात उपर्युक्त (5) के अनुसार कुल जोड़}}{10}$$

(7) अद्यतन की गई मूल पेंशन उपर्युक्त (6) का __________ रुपये

$$\frac{\text{50\% अर्हक सेवा के वर्षों की संख्या (अधिकतम 33 वर्ष)}}{33}$$

(8) मूल पेंशन (अगले अधिक रुपये तक पूर्णांकित) __________ रुपये

(ग) जो अधिकारी जुलाई, 1993 पहली तारीख की अथवा उसके बाद परंतु नवंबर, 1994 की पहली तारीख से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं उनके विशेष भत्तों की जो राशि अधिकारी सेवा विनियमावली के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय वास्तव में आहरित विशेष भत्तों के बराबर होगी उसकी पहली नवंबर 1994 से लागू अतिरिक्त पेंशन का हिसाब लगाने के प्रयोजन के लिए संगणना की जाएगी ।

परंतु यह शर्त है कि नवंबर 1992 की पहली तारीख सेवानिवृत्ति की तारीख में से जो भी बाद में आती हो उससे अक्तूबर 1994 की 31 तारीख तक की विशेष भत्ते की जो राशि भविष्य निधि की संशोधित की गई दरों से पहले की दरों से हकदार होगी उसकी अतिरिक्त पेंशन का हिसाब लगाने के प्रयोजन के लिए संगणना की जाएगी ।

[विनियम 36 (1) देखिये]

मूल पेंशन पर महँगाई राहत नीचे लिखे अनुसार होगी :

(1) ऐसे कर्मचारियों के मामले में जो जनवरी 1986 की पहली तारीख को या उसके बाद परन्तु नवम्बर 1993 की पहली तारीख से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें महंगाई राहत औद्योगिक कामगार की श्रृंखला 1960 = 100 के अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता सूचकांक की तिमाही औसत के 600 अंकों में प्रत्येक 4 अंकों की यथास्थिति वृद्धि में अथवा गिरावट के लिए महँगाई भत्ता देय होगा अथवा वसूल किये जाने योग्य होगा । महँगाई राहत की प्रत्येक उक्त चार अंकों की वृद्धि या गिरावट का हिसाब नीचे दी गई विधि से लगाया जाएगा ।

मासिक मूल पेंशन का मान	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महँगाई - राहत की दर
(i) 1,250/- रुपये तक	0.67 प्रतिशत
(ii) 1,251/- रुपये से 2000/- रुपये तक	1250/- रुपये का 0.67 प्रतिशत और उसमें 1,250/- रुपये से अधिक की मूल पेंशन का 0.55 प्रतिशत जोड़कर
(iii) 2,001/- रुपये से 2,130/- रुपये तक	1,250/- रुपये का 0.67 प्रतिशत और उसमें 2,000/- रुपये तथा 1,250/- रुपये के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत और 2,000/- रुपये से अधिक की मूल पेंशन का 0.33 प्रतिशत जोड़कर ।
(iv) 2,130/- रुपये से अधिक	1,250/- रुपये का 0.67 प्रतिशत और उसमें 2,000/- रुपये तथा 1,250/- रुपये के बीच के अंतर का 0.55% और 2,130/- रुपये तथा 2,000/- रुपये के बीच के अंतर का 0.33 प्रतिशत और 2,130/- रुपये से अधिक की मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत जोड़कर ।

(2) नवम्बर, 1993 के पहले दिन को या उसके बाद, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारीयों के मामले में महँगाई राहत औद्योगिक कामगार, श्रृंखला 1960 = 100 के अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता त्रैमासिक मूल्य सूचकांक के 1148 अंकों में, प्रत्येक 4 अंक की, यथास्थिति प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी अथवा उसमें होने वाली प्रत्येक 4 अंक गिरावट के लिए वसूल किये जाने योग्य होगी । महंगाई राहत का प्रत्येक उक्त चार अंकों की ऐसी वृद्धि या गिरावट का हिसाब नीचे दी गई विधि से लगाया जाएगा :-

मासिक मूल पेंशन का मान	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महँगाई - राहत की दर
(i) 2,400/- रुपये तक	0.35 प्रतिशत
(ii) 2,401/- रुपये से 3,850/- रुपये तक	2,400/- रुपये का 0.35 प्रतिशत और उसमें 2,400/- रुपये से अधिक की मूल पेंशन का 0.29 प्रतिशत जोड़कर ।
(iii) 3,851/- रुपये से 4,100/- रुपये तक	2,400/- रुपये का 0.35 प्रतिशत और उसमें 3,850/- रुपये तथा 2,400/- रुपये के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत तथा 3,850/- रुपये अधिक की मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत जोड़कर ।
(iv) 4,100/- रुपये से अधिक	2,400/- रुपये का 0.35 प्रतिशत और उसमें 3,850/- रुपये तथा 2,400/- रुपये के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत एवं 4,100/- रुपये तथा 3,850/- रुपये के बीच के अंतर का 0.17 प्रतिशत और 4,100/- रुपये से अधिक की मूल पेंशन का 0.09 प्रतिशत जोड़कर ।

(3) महँगाई राहत पिछले वर्ष के अक्तूबर, नवम्बर, और दिसंबर के महीनों के प्रकाशित सूचकांक के आंकड़ों के त्रैमासिक औसत से 1 फरवरी को प्रारंभ होने वाली और 31 जुलाई को समाप्त होने वाली छमाही के लिए देय होगी तथा वह उसी वर्ष के अप्रैल, मई और जून महीनों के प्रकाशित सूचकांक आंकड़ों के त्रैमासिक औसत से 1 अगस्त से प्रारंभ होने वाली और 31 जनवरी को समाप्त होने वाली छमाही के लिए देय होगी ।

(4) पारिवारिक पेंशन, अशक्तता पेंशन, और अनुकंपा-भत्ता के मामले में महँगाई राहत उपर्युक्त दरों के अनुसार देय होगी ।

(5) महँगाई राहत पूरी मूल पेंशन के लिए उसके सारांशीकरण के बाद भी दिये जाने की अनुमति होगी ।

(6) महँगाई राहत अतिरिक्त पेंशन पर देय नहीं होगी ।

(7) जिस पेंशनर की मूल पेंशन से कम है परंतु मूल पेंशन और अतिरिक्त पेंशन का सकल जोड़ न्यूनतम पेंशन से अधिक है वह न्यूनतम पेंशन पर यथा लागू महँगाई राहत आहरित करेगा ।

[विनियम 38 (1) देखिये]

पारिवारिक पेंशन की सामान्य दरें नीचे लिखे अनुसार होंगी :

(क) 01-11-1993 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए

मासिक वेतनमान (1)	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि (2)
1,500/- रुपये तक	मूल पारिवारिक पेंशन 'वेतन' का 30 प्रतिशत होगी और उसमें ऐसे भत्तों का 30 प्रतिशत जोड़कर अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी जो भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए हिसाब में लिये जाते हैं परंतु जिन्हें महँगाई भत्ते के लिए नहीं गिना जाता। मूल पेंशन और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का सकल जोड़ 375/- रुपये मासिक से कम नहीं होगा।
1,501/- रुपये से 3,000/- रुपये तक	मूल पारिवारिक पेंशन 'वेतन' का 20 प्रतिशत होगी और उसमें ऐसे भत्तों का 20 प्रतिशत जोड़कर अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी जो भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गिने जाते हैं परंतु महँगाई भत्ते के लिए नहीं गिने जाते । मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का जोड़ 450/- रुपये मासिक से कम नहीं होगा ।
3,000/- रुपये से अधिक	मूल पारिवारिक पेंशन 'वेतन' की 15 प्रतिशत होगी और उसमें ऐसे भत्तों का 15 प्रतिशत जोड़कर अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी जो भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गिने जाते हैं परन्तु महँगाई भत्ते के लिए नहीं गिने जाते । मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का जोड़ 600/- रुपये मासिक से कम नहीं होगा और 1,250/- रुपये मासिक से अधिक नहीं होगा।

(ख) 1.11.1993 को सेवानिवृत्त अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए

मासिक वेतनमान	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)
2,870/- रुपये तक	मूल पारिवारिक पेंशन 'वेतन' का 30 प्रतिशत होगी और उसमें ऐसे भत्तों का 30 प्रतिशत जोड़कर अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी जो भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गिने जाते हैं परंतु महँगाई भत्ते के लिए नहीं गिने जाते । मूल पेंशन और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का सकल जोड़ 720/- रुपये मासिक के अधीन होगा ।
2,871/- रुपये से 5,740/- रुपये तक	मूल पारिवारिक पेंशन 'वेतन' का 20 प्रतिशत होगी और भत्तों का 30 प्रतिशत जोड़कर अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी जो भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गिने जाते हैं परंतु महँगाई भत्ते के लिए नहीं गिने जाते । मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का सकल जोड़ न्यूनतम 860/- रुपये मासिक के अधीन होगा।
5,740/- रुपये से अधिक	मूल पारिवारिक पेंशन 'वेतन' का 15 प्रतिशत होगी और उसमें ऐसे भत्तों का 15 प्रतिशत जोड़कर अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी जो भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गिने जाते हैं परंतु महँगाई भत्ते के लिए नहीं गिने जाते । मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का सकल जोड़ न्यूनतम 1,150/- रुपये मासिक और अधिकतम 2,400/- रुपये मासिक से अधीन होगा।

टिप्पणियाँ :

(1) अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत देय नहीं है ।

(2) उपर्युक्त पारिवारिक पेंशन का हिसाब लगाने के लिए वेतनमान विनियम 2 के उप खंड (द) में पारिभाषित वेतन और विनियम 34 के उप विनियम (3) के स्पष्टीकरण यथा पारिभाषित 'भत्तों' का सकल जोड़ होगा ।

(3) यदि मूल पारिवारिक पेंशन और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का सकल जोड़ न्यूनतम पेंशन से कम होता है तो पेंशनर को न्यूनतम पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है और उसे इस न्यूनतम पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत अदा की जा सकती है । परंतु न्यूनतम पारिवारिक पेंशन से अधिक और उसके ऊपर कोई अतिरिक्त पेंशन अदा नहीं की जाएगी ।

पारिवारिक पेंशन

जो कर्मचारी 1 जनवरी, 1986 को अथवा उसके बाद बैंक की सेवा में थे और जो सेवा में रहते हुए 31 अक्तूबर से पहले मृत हो गये थे अथवा जो 31 अक्तूबर, 1987 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो गये थे । परंतु उसके बाद मृत हुए थे । उनकी मूल पारिवारिक पेंशन अथवा अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की संगणना करने का सूत्र नीचे लिखे अनुसार होगा :

(1) मूल पारिवारिक पेंशन

(अ)	मृत्यु / सेवानिवृत्ति के समय मृत कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन	__________रुपये
(आ)	नीचे दी गयी सारणी के अनुसार सामान्य दर से लगाई गयी मूलभूत पारिवारिक पेंशन	__________रुपये
(इ)	उपर्युक्त (ख) के अनुसार हिसाब लगाई गई मूल पारिवारिक पेंशन पर परिशिष्ट II की सारणी-I के अनुसार औद्योगिक कामगारों की शृंखला 1960=100 के अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल सूचाकांक के 600 अंक पर महंगाई राहत	__________रुपये
(ई)	अद्यतन की गयी मूल पारिवारिक पेंशन अर्थात् (आ) + (इ)	__________रुपये
(उ)	न्यूनतम 375/- रुपये सहित उपर्युक्त (ई) के अनुसार अद्यतन की गयी मूल पारिवारिक पेंशन (जिसे अगले अधिक रुपये तक पूर्णांकित किया गया हो)	
(ऊ)	उपर्युक्त (ई) में अद्यतन की गयी मूल पारिवारिक पेंशन की, यथास्थिति, डेढ़ गुनी अथवा दुगुनी अद्यतन की गयी पारिवारिक पेंशन (जिसे अगले अधिक रुपये तक पूर्णांकित किया गया हो)	

(2) अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन

अधिकारी सेवा विनियमावली के अनुसार भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए स्थान पानेवाली राशि की जो सीमा सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु से पहले आहरित विशेष भत्तों के बराबर है उस तक के विशेष भत्ते अतिरिक्त पारिवारिक प्रयोजन के लिए गिने जाएंगे ।

टिप्पणी :

(1) अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन पर महँगाई/राहत देय नहीं है ।

(2) यदि मूल पारिवारिक पेंशन और अद्यतन की गयी अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का सकल जोड़ अद्यतन की गयी न्यूनतम पारिवारिक पेंशन से कम होता है तो पेंशनर को अद्यतन की गयी न्यूनतम पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है और उसे इस न्यूनतम अद्यतन की गयी पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत अदा की जा सकती है । अद्यतन की गयी अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन अद्यतन की गयी न्यूनतम पारिवारिक पेंशन से अधिक और उसके ऊपर देय होगी ।

सारणी

वेतन की सीमा	पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)
664/- रुपये से कम	मूल पारिवारिक पेंशन 'वेतन' का 30 प्रतिशत होगी और उसमें ऐसे भत्तों का 30 प्रतिशत जोड़कर अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी जो भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए हिसाब में लिये जाते हैं परंतु जिनको महँगाई भत्ते के लिए नहीं गिना जाता तथा यह जोड़ न्यूनतम 100/- रुपये और अधिकतम 166/- रुपये होगा ।
664/- रुपये और इससे अधिक परंतु 1,992/- रुपये से कम	मूल पारिवारिक पेंशन 'वेतन' का 15 प्रतिशत होगी और उसमें भत्तों का 15 प्रतिशत जोड़कर अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी जो भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए हिसाब में लिए जाते हैं परंतु जिनको महँगाई भत्ते के लिए नहीं गिना जाता तथा यह जोड़ न्यूनतम 166/- रुपये और अधिकतम 266/- रुपये होगा ।
1,992/- रुपये और इससे अधिक	मूल पारिवारिक पेंशन 'वेतन' का 12 प्रतिशत होगी और उसमें ऐसे भत्तों का 12 प्रतिशत जोड़कर अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी जो भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गिने जाते हैं परंतु जिनको महँगाई भत्ते के लिए नहीं गिना जाता तथा यह जोड़ न्यूनतम 266/- रुपये और अधिकतम 415/- रुपये होगा ।